खण्ड-280, अंक-1
गुरूवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(26 फरवरी, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
कांग्रेस के दो दलों में विभाजन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	६
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	६–७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव को कार्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	७–९
विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	९
भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री सीताराम अस्थाना, जगन्नाथ सिंह, राजेन्द्र दत्त, दीन दयालु शर्मा, राम लखन सिंह, हरिश्चन्द्र सिंह, केदारनाथ भार्गव, रघुवीर सहाय, जमना सिंह तथा धनीराम जैसवाल के निधन पर शोकोद्गार ..	१०–१२
१९६९–७० के अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	१२
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१३
उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१३
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१३
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१३
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियम और चालू रखा जाना) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१३
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश के लिये राष्ट्रपति अधिनियमों का (पुनः अधिनियमन) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	१५

विषय		पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (कठिनाइयों का निवारण आदेश, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	.. .. ..	१५
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१५
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. .. ..	१५
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन १९६४–६५, १९६५–६६, १९६६–६७ तथा सम्बन्धित ज्ञापन (सदन के पटल पर रखे गये)	..	१५
नगर महापालिका आगरा चुंगी नियमावली (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	१६
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. .. ..	१६
लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा नगरों की सीमाओं से होकर वाह्य गन्तव्य स्थानों के लिये माल और गाड़ियों आदि के पारगमन के निमित्त नियमावली का शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	..	१६
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ का शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	.. ..	१६
मोदीनगर (मेरठ) गोली कांड जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	.. .. ..	१७
नगर महापालिका वाराणसी द्वारा चुंगी के निर्धारण और उसकी वसूली के लिये नियमावली का शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	..	१७
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स चौथा (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१७
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१७
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१७
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१८
उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१८
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१८
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का प्रशासन प्रतिवेदन, १९६५–६६ (सदन के पटल पर रखा गया)	.. ..	१८
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. .. ..	१८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. ..	१९
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का नवां वार्षिक प्रतिवेदन (१९६६–६७) (सदन के पटल पर रखा गया)	.. ..	१९

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	१९
नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली (सदन के पटल पर रखी गयी)	२०
समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली (सदन के पटल पर रखी गयी)	२०
समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर नगरमहापालिका, कानपुर द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली (सदन के पटल पर रखी गयी)	२०
भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	२०
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	२१
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया)	२१
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२१
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२१
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२१–२२
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	२२
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों और सदस्यों के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२२
यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२२
उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२२
उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२३
उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२३
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	२३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न	२३
बजट की कापी न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत	२३–२४

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री के० डी० शर्मा, एस० पी०, बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२४–२५
मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के बाहर नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२६–२८
अलाभकर जोतों के सम्बन्ध में अध्यादेश क बारे में जानकारी की मांग ..	२८–२९
श्री महीलाल द्वारा श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध नोटिस आफिस का गेट तोड़ने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२९
अलाभकर जोतों के सम्बन्ध में अध्यादेश के बारे में जानकारी की मांग ..	२९–३०
नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में घोषणा	३०
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	३०–३३
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३४
नेता विरोधी दल के मनोनयन के सम्बन्ध में जानकारी	३४
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड में विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३४
उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३५
उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३५
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३६
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३६
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३६–३७
उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३७
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३७
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३७–३८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (पुरःस्थापित किया गया)	३८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बाधा उपस्थित करने के संबंध में खेद प्रकट करने के प्रस्ताव की सूचना	३८–३९
नत्थियां	४०–७७

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ फरवरी, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ३ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--४१४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
इशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, (बेगम एजाज रसूल) श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री

केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
कशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नेपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारस नाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)

रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघवीर सिंह, यादव, श्री
रणजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम ,श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रमादुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़ रानी की सराय)

राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
बिजयबहादुर सिंह, श्री
बिजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
बीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री

शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडेया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तरा, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री,
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री श्री श्रीपति मिश्र, भी उपस्थित थे ।

कांग्रेस के दो दलों में विभाजन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, एक कांग्रेस विधान मण्डल दल इस तरफ बैठा हुआ है और एक कांग्रेस विधान मंडल दल उस तरफ बैठा हुआ है । आप किस को मान्यता देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं उसका निर्णय देता हूं । कांग्रेस के दो हिस्से हो गये हैं । लोक सभा में उसका निर्णय यह किया गया है कि एक तो रूलिंग कांग्रेस (आर) कही जाती है और एक आर्गनाइजेशन की कांग्रेस, संगठन कांग्रेस कही जाती है । उसी तरह से हम भी एक को संगठन कांग्रेस कहेंगे, उसी तरह से निश्चय होगा यहां पर ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

क्या यहां उसका नाम समर्थन कांग्रेस होगा जो उधर बैठेगी ?

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी तो आब्जेक्शन आया था, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि वह चीनवादी हैं या रशावादी हैं ? यह बता दें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष--

मैं सम्बोधन पढ़ देता हूं ।

"उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को उनके ६ फरवरी, १९७० को प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा० बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी का अभिभाषण ।"

"विधान मंडल के सदस्यगण,

नये वर्ष के प्रथम सत्र के लिए यहां एकत्र आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है । इस वर्ष गांधी शताब्दी सम्बन्धी आयोजनों की औपचारिक पूर्णाहुति, हम हाल ही में, कस्तूरबा की पुण्य तिथि पर, बाईस फरवरी को कर चुके हैं । गांधी शताब्दी वर्ष में बादशाह खां हमारे निमंत्रण पर इस देश में पधारे व उत्तर प्रदेश को भी उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसी वर्ष हमने महान सन्त गुरु नानक देव की पांच-सौवीं जन्म-तिथि भी मनायी है । हमें ये महापुरुष ध्रुवतारे के समान सही रास्ता बताने में सहायक होंगे, यह मेरा विश्वास है । यों तो हर नया साल नयी आशाओं का संदेश ले कर आता है और हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए नया उत्साह देता है पर हमारे लिए यह वर्ष विशेष महत्वपूर्ण है ।"

* * *

"इस सत्र में कुछ अध्यादेशों व राष्ट्रपति अधिनियमों के विधेयक समय से पारित करने हैं । इस अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान और आगामी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए लेखानुदान आपको स्वीकृत करने होंगे । अगले सत्र में बजट के साथ-साथ सरकार अपनी वित्तीय नीतियों व योजनाओं पर प्रकाश डाल सकेगी । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, राज्य सरकार उनका स्वागत करेगी और उन पर गम्भीरता से विचार करेगी ।"

(पूर्ण अभिभाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४० पर)

मैंने पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ दिया जैसी यहां की प्रथा रही है। बाकी सब को अभिभाषण मिल चुका है, और टेबिल पर रख दिया गया है। अगर किसी को नहीं मिला है तो आप ले लें। लेकिन उसके ऊपर मुझे यह तय करना है इस विषय में कि कितने रोज इस अभिभाषण पर विचार-विनिमय होगा। यह तय हुआ है कि चार रोज इसमें लिये जायेंगे, कल प्रारम्भ होगा २७ को और उसके बाद २ तारीख को, तीन तारीख को और चार तारीख को—चार तारीख को समाप्त होगा।

माननीय मुख्य मंत्री।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव को कार्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, हमारे नियमों में यह विधान दिया हुआ है कि जिस दिन दोनों सदनों के सम्मुख राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद तीन बजे बिलकुल विधिवत् विधान सभा का अधिवेशन आरम्भ होता है। आपने जो कार्यसूची बंटी है उससे यह बात स्पष्ट है कि तीन बजे हमारी विधान सभा की नियमित बैठक आरम्भ हुई है। और इसमें श्रीमन्, जितने कार्य एक दिन की कार्यवाही में रखे जाते हैं सब आपने रखा है। अन्त में दिया हुआ है सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना, नियम ३१५ के खंड (१४) व (१५) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें। यह आपने दिया है जैसा कि उपवेशन के दिन होता है। इसमें सापेक्षता दी है कि जिस दिन विधान सभा की बैठक हो उसमें कौन-कौन कार्य होंगे। ८३ पृष्ठ पर ३१५ नियम आप देखें तो उसमें यह दिया हुआ है कि निम्न क्रमानुसार सापेक्ष अग्रेता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी जिनमें विशेषाधिकार के प्रश्न की अवहेलना, भूतपूर्व मन्त्री द्वारा अपने त्याग का वक्तव्य, आदि-आदि दिया है। उसके २८वें में यह भी दिया है कि सदन के कार्य को स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा। श्रीमन्, मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। श्री राज्यपाल के अभिभाषण के बाद यह ३ बजे जो बैठक हो रही है यह बिलकुल उसी तरह की सिटिंग है जो कि विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली में दी हुई है। उसके अनुसार ही यह बैठक हो रही है। आज जो कार्य सूची दी है उसमें वह सारी सूची का कार्य दिया है जो विधान सभा की बैठक होने के दिन होती है जैसे विशेषाधिकार का प्रश्न, मंत्रियों का वक्तव्य और सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रश्न आदि-आदि लेकिन हमें खेद है कि नियम ३१५ के अनुसार सदन के कार्य को स्थगित करने का जो प्रस्ताव हमने दिया है वह नहीं है। एक घंटा पहले हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सचिवालय की गलती के कारण वह कार्य स्थगन प्रस्ताव इसमें नहीं दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न थे वह आज नहीं रखे गये हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

लोक सभा के जो नियम हैं वह हमारे यहां लागू नहीं होते। लोक सभा में जिस दिन राष्ट्रपति का भाषण होता है वह दोनों सदनों के समक्ष उनका कम्प्लीट भाषण होता है। वह सदन के समक्ष वितरित किया जाता है। हमारे यहां रेगुलर मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें जो कार्य की सूची दी है वह भी रेगुलर होनी चाहिये। हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव बहुत ही नियमित है। लोक सभा में और हमारे यहां के नियमों में फर्क है। इसलिये इसको आना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । आप इस तरह का नोटिस देना चाहें तो दे सकते हैं । आज उस पर चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि आज तो केवल औपचारिक कार्य ही लिया जा सकता है । आप उसको दे दें दूसरे रोज उस पर विचार कर लिया जायगा । उसके बाद मैं अपना निर्णय दे दूंगा ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जो माननीय कृष्णानन्दराय ने कहा उसको आप अगर गौर से देखें तो जो औपचारिक, कार्य की बात कही जा रही है वह बात नहीं बैठती है । जो सारी चीजें इसमें दी गई हैं २७, २८ और २९ पर उनमें कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी है । ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें भी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक कार्य स्थगन के प्रश्न का सवाल है, मुझे अभी सचिव ने सूचना दी है कि १९६३ से आज तक कभी भी कार्य स्थगन प्रस्ताव का नम्बर पहले नहीं आया है जिस प्रायोरिटी के अनुसार उन्होंने पहिले रखा था । उसी परिपाटी के अनुसार आज भी रक्खा है । आप मुझे नोटिस भेज सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था देने से पहले आप मुझे सुन लें । आज की कार्यवाही के सिलसिले में जो हमारा नियम १९ है और जो उसका खंड है कि राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़कर सुना सकेंगे और उसके बाद कोई कार्यवाही न हो, आपने भाषण सुना दिया । बाकी सब कार्यवाही मुल्तवी कराई । श्री कृष्णानन्द राय का प्रस्ताव भी मुल्तवी हो जायेगा । इस प्रकार इस नियम का सही पालन हो जायेगा । मेरा नम्र निवेदन है कि इन नियमों के अन्तर्गत अगर औपचारिक कार्य के सिलसिले में कोई नियम लिया जायेगा तो उसका कोई खंड नहीं होगा । २८-२९ तारीख तक जितना भी कार्य है वह सब परिपाटी में आना चाहिये । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि औपचारिक रूप में यह साबित किया जाय या सब कार्य बन्द किया जाय ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य, गाजीपुर और माननीय सदस्य, गोरखपुर का आभारी हूं कि उन्होंने सदन को शुरू में ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का अवसर दिया । यह प्रश्न पहले भी उठ चुका है कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हो और उसको औपचारिक रूप से यहां पर पढ़ें तो उस दिन किस प्रकार का कार्य सदन में होना चाहिये । इस पर पहले भी विवाद हो चुका है और मैं सम्मानित सदस्यों से जो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस ओर बैठे हैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि वे कृपया उन परिपाटियों की ओर ध्यान देने का कष्ट करें जो हमने सबने डाली हैं । इस पक्ष में कभी हम बैठे और कभी वे बैठे हैं लेकिन सदन की जो परिपाटी रही है उसमें आपने ठीक कहा है कि औपचारिक विषय ही लिये जा सकते हैं । इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना या गिरफ्तारी की सूचना ये ऐसे विषय हैं जिसमें सदन को अधिकार है कि वह जाने । आप प्रथम बार मिली गिरफ्तारी की सूचना बतायें यह पार्लियामेंटरी पद्धति के अन्तर्गत अत्यन्त आवश्यक है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी प्रकार जो विशेषाधिकार के विषय हैं वे भी प्राथमिकता के विषय हैं और सदन की कार्यवाही के दृष्टिकोण से वरीयता प्राप्त करते हैं और औपचारिक कार्यों की परिधि में आते हैं । तो मैं अपने सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जो परिपाटी डाली गई है और उसके अनुरूप जो कार्यवाही हो रही है औपचारिक कार्यों के विषय में उसका समर्थन करें ।

श्री कृष्णानन्द राय--

जो आपने रूलिंग दी है उसको मैं शिरोधार्य करता हूं । हमारी सूचना है कि आज अनियमित अधिवेशन है । उसकी सूचना आपने टेक-अप कर ली है । कार्य स्थगन प्रस्ताव का समय आज दें या जब दें, प्रस्ताव की सूचना मिल गई है । उसका नोटिस टेक-अप कर लें । आज नहीं तो कल लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

उस पर निर्णय किसी दिन और होगा ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को बुलाये जाने पर)

विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इससे पहले कि सदन की कार्यवाही चले, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन को यह कन्फ्यूजन है कि कौन सी पार्टी की संख्या इस वक्त क्या है । मैं चाहूंगा कि आप सदन को यह बतला दें कि इस वक्त कौन सी पार्टी की सदस्य संख्या क्या-क्या है । वह कन्फ्यूजन जो प्रेस द्वारा उठाया जा रहा है, वह खत्म हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इस कन्फ्यूजन (गड़बड़ी) को दूर करने के लिए आप लोग कोई ऐसा प्रस्ताव लायें जिस पर वोटिंग हो जाय तो पता चल जायगा लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अन्दाज से बतलाना मेरे लिये ठीक नहीं है। लिहाजा हर एक सदस्य कृपा करके बतला दें कि किस गुट के साथ वह हैं तो यह ज्यादा अच्छा होगा और फिर वह हमारे रिकार्ड में रहेगा। लेकिन फैसला बहुमत का तथा अल्पमत का सदन में ही होगा और किसी ऐसे विषय पर होगा जिस पर आप विभाजन करना चाहें ।

श्री रियासत हुसैन--

हर पार्टी की अलग-अलग संख्या से मेरा मतलब है, फैसले से नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

हर पार्टी के नेता तथा सदस्य भी अपने-अपने नाम लिख कर मेरे पास भेज देंगे कि फलां पार्टी में वे हैं तो मुझे बतलाने में आसानी होगी ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

नारायण दत्त तिवारी जी ने यह प्रश्न उठाया कि कामरोको प्रस्ताव औपचारिक विषयों में आता है या नहीं । लिहाजा आप इस बात को स्पष्ट कर दें कि कामरोको प्रस्ताव जो आयेंगे सदन में वे औपचारिक विषय होंगे या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बाद की बात है ।

भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री सीताराम अस्थाना, जगन्नाथसिंह, राजेन्द्रदत्त, दीन दयालु शर्मा, रामलखनसिंह, हरिश्चन्द्रसिंह, केदारनाथ भार्गव, रघुवीर सहाय, जमना सिंह तथा धनीराम जैसवार के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए तकलीफ होती है कि पिछले सत्र के अवसान के बाद अब तक हमारे भूतपूर्व सदस्यों में से ५ का देहावसान हो चुका है और उन पांचों का मैं आपकी इजाजत से एक साथ जिक्र कर देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास ७ का नाम है ।

श्री चरण सिंह--

सात ही होंगे । श्री राजेंद्र दत्त--मुजफ्फरनगर, श्री दीनदयालु शर्मा--बुलन्दशहर, श्री राम लखन सिंह--जौनपुर, श्री हरीशचन्द्र सिंह--बदायूं, श्री केदारनाथ भार्गव--मथुरा, श्री सीताराम अस्थाना--आजमगढ़, श्री जगन्नाथ सिंह--फतेहपुर, श्री रघुबीर सहाय--फतेहपुर के रहने वाले थे । इस प्रकार ८ सदस्य हो जाते हैं ।

एक सदस्य--

श्री धनीराम जैसवार तथा जमना सिंह दो अन्य सदस्यों का भी देहावास हो चुका है । श्री जैसवार आजमगढ़ तथा श्री सिंह गाजीपुर के थे ।

श्री चरण सिंह--

तो इस प्रकार १० सदस्य होते हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, यों तो संसार के हर एक व्यक्ति को कभी न कभी जाना है लेकिन ये वे लोग थे जिन्होंने अपने घर के कामों को, अपने गृहस्थ के कामों को, निजी कामों को तथा स्वार्थों को छोड़कर जनसेवा के क्षेत्र में काम किया । यही नहीं कि ये सब के सब राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में ही रहे हों किन्तु वे विधायक भी रहे, अतः हमारी श्रद्धा के पात्र हैं । मैं आपकी इजाजत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप उनके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदना को संबद्ध करते हुए हमारे विचारों को उन तक पहुंचा दें ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)--

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो अभी दिवंगत आत्माओं के सिलसिले में प्रस्ताव रखा है, मैं दुख के साथ उससे अपने आपको संबद्ध करता हूं । ये जितने भी साथी आज हमसे बिछड़ गये हैं वे किसी न किसी रूप में इस सदन से संबद्ध रहे हैं । निस्संदेह इन लोगों ने सार्वजनिक जीवन में बहुत-सी कुरबानियां कीं और देश की आजादी प्राप्त करने में साथ दिया । उसका परिचय जनता ने उनको इस सदन का सदस्य चुन कर दिया । आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जीवन-यात्रा के अन्दर ऐसे साथियों में से १० हमारा साथ आज छोड़ गये हैं । उनके परिवार वालों को हमसे भी अधिक दुख होगा । माननीय नेता सदन के प्रस्ताव से मैं अपने आपको और अपने दल को संबद्ध करता हूं । साथ ही अध्यक्ष महोदय, आप से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल के जितने भी साथी हैं उनकी संवेदना उनके परिवार से संबंधित लोगों तक पहुंचा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने दिवंगत आत्माओं के प्रति जो भाव प्रकट किये हैं, उनसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । अपनी और अपने दल की ओर से संवेदना प्रकट करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने दिवंगत आत्माओं के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने साथियों और अपने को संबद्ध करता हूं । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से हार्दिक शोक प्रकट करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि दिवंगत आत्माओं के परिवार तक हमारी संवेदना को पहुंचा दें ।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, नेता सदन ने हमारे जिन साथियों और सहयोगियों के देहावसान के संबंध में अपनी भावनायें प्रकट की हैं और अपना दुख प्रकट किया है, उनसे मैं अपने सब-साथियों और अपने को संबद्ध करता हूं । इनमें से अधिकतर हमारे साथी ऐसे हैं जो स्वाधीनता-संग्राम के अच्छे सिपाही रहे हैं तथा वे इस आदरणीय सदन के भी काफी समय तक सदस्य रहे । उनके चले जाने से सार्वजनिक जीवन को क्षति पहुंची है । हम सब उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं तथा जो हमें छोड़ कर चले गये हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

*श्री ठाकुर (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो भावनायें दिवंगत आत्माओं के प्रति व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने दल तथा अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा अपने दल कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट दल की समवेदना प्रकट करता हूं । मेरा आप से निवेदन है कि हमारी संवेदनाओं को आप कृपया संतप्त परिवारों तक भेजने का कष्ट करें ।

*श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो भावनायें और संवेदनायें व्यक्त की हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं के पारिवारिक जनों तक संवेदना के प्रस्ताव को पहुंचा दें ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष जी, नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि तथा संवेदना प्रकट की हैं उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि उनके परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष--

आप का दल कौन-सा है?

*श्री मैनेजर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं निर्दलीय हूं जिस दल में आप भी हैं। माननीय नेता सदन और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने निर्दलीय साथियों को सम्बद्ध करता हूं और इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी और हमारे साथियों की ओर से संवेदना सन्देश उनके परिवारों को पहुंचा दें।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन तथा सभी विरोधी दलों के नेताओं ने जिन स्वर्गीय माननीय सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट की है मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। जिन दिवंगत आत्माओं के नाम लिये गये हैं उन सभी से विधान सभा का सदस्य होने के नाते मेरा अच्छा परिचय था और मैं जानता हूं कि यह सभी लोग देश की सेवाओं में अपना पूरा जीवन लगाते रहे थे। इनमें से दो, श्री दीन दयाल जी तथा श्री राजेन्द्र जी तो मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र थे। और वे हर वक्त हमारे साथ रहते थे। इन दोनों का स्वर्गवास भी एक ही दिन हुआ और केवल १ घंटे के फर्क से ही हुआ और एक ही बीमारी--हृदयगति रुक जाने से हुआ। मैं भी इन सभी संतप्त परिवारों तक अपनी भावनायें भिजवाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने इन १० दिवंगत कार्यकर्ताओं के विषय में, उनकी मृत्यु पर जो शोक और भावनायें प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह सब बड़े योग्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने सदा देश के लिये कुर्बानी की, ऐसे १० सज्जनों की एक ही वर्ष में मृत्यु हुई यह बड़े दुख की बात है। इन दिवंगत आत्माओं के संतप्त परिवारों के प्रति जो भावनायें आप सब ने सदन में प्रकट की हैं उन के प्रति मैं अपने को सम्बद्ध करके और इस सदन की ओर से उन के कुटुम्बियों के प्रति मैं सहानुभूति और सान्त्वना का सन्देश भेज दूंगा। अब मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह २ मिनट के लिये खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री अनन्तराम जायसवाल--श्रीमन्, सार्वजनिक जीवन में एक और बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो गयी है। इस प्रदेश में जनतंत्र का मर्डर हो गया है। उस पर भी हमें अपनी संवेदना अर्पित करना चाहिये। (हंसी)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय सदस्य का तात्पर्य उससे है जो ढाई महीने तक असेम्बली नहीं बुलाई गयी जिसके कारण यह हुआ है। (व्यवधान)

१९६९-७० के अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)--

श्रीमन्, मैं वित्तीय वर्ष १९६९-७० के अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९६९†

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री रामकिंकर)--

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, जो अध्यादेश आज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सवा छः एकड़ तक अलाभकर जोतों पर लगान माफी के संबंध में तथा जो पासबुकों के बारे में था, वह आज इस एजेंडे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आगे १४ नम्बर पर है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

वह इसमें नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री बतायें कि वह इसमें है?

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९†

नियोजन उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९†

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९†

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अध्यादेश, १९६९†

कृषि मंत्री (श्री शिवराजसिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६९

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६९†

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६९ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७०†

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७०†

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १९७०†

खाद्य तथा रसद उपमंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज भाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, १९७०†

नियोजन उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश के लिये राष्ट्रपति अधिनियमों का (पुनः अधिनियमन) अध्यादेश, १९७०†

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रपति अधिनियमों का (पुनःअधिनियमन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, १९६९†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६१०-सी० १२-सी-ए—५(१)-६९, दिनांक ६ अगस्त, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, १९६९, को, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १३३ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९६९††

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४४०४-टी०/तीस-ख, दिनांक ३० जुलाई, १९६९ द्वारा प्रख्यापित यू०पी० मोटर वेहिकिल्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९६९ को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९६९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९††

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८०३-टी/तीस-ख, दिनांक १७ मार्च, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ में उक्त विभाग के शुद्धि पत्र संख्या २२७९-टी/३०-बी, दिनांक २१ जुलाई, १९६९ को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री-कर अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन १९६४–६५, १९६५–६६, १९६६–६७ तथा सम्बन्धित ज्ञापन‡

नियोजन उपमंत्री (श्री ओमप्रकाशसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के (१) वार्षिक प्रतिवेदन, १९६४-६५, (२) वार्षिक प्रतिवेदन, १९६५-६६ तथा (३) वार्षिक प्रतिवेदन १९६६-६७, को उनसे संबंधित ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

‡छापे नहीं गये ।

नगर महापालिका, आगरा चुंगी नियमावली††

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगर पालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०६१-११-बी। ४० एम-टी-६३, दिनांक २५ जुलाई, १९६९ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, आगरा चुंगी नियमावली को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९††

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११७६-टी/तीस-ख-९-पी-६७, दिनांक २५ अगस्त, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं ।

लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा नगरों की सीमाओं से होकर वाह्य गन्तव्य स्थानों के लिये माल और गाड़ियों आदि के पारगमन के निमित्त नियमावली का शुद्धि-पत्र†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री अनवार अहमद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३४-बी ११-ग-७५-६१, दिनांक २७ अप्रैल, १९६७ द्वारा प्रख्यापित लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा नगरों की सीमाओं से हो कर वाह्य गन्तव्य स्थानों के लिए माल और गाड़ियों आदि के पारगमन के निमित्त नियमावली में उक्त विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या १९९०-बी ११-ग-७१-६१, दिनांक ६ सितम्बर, १९६९ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९६९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ का शुद्धि-पत्र†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८०३-टी/तीस-ख, दिनांक १७ मार्च, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९, में उक्त विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या ५४९५-टी तीस-ख-२-के-जी-६९, दिनांक ४ अक्तूबर, १९६९, को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री-कर अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा हीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

मोदीनगर (मेरठ) गोली कांड जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित शुद्धि पत्र†

नियोजन उप मंत्री (श्री ओमप्रकाशसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोदीनगर (मेरठ) गोली कांड जांच आयोग का प्रतिवेदन, १९६८ को, उसके शुद्धि-पत्र संख्या ६७(२)/२१—६७—सी—एक्स, दिनांक ९ दिसम्बर, १९६९ सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा चुंगी के निर्धारण और उसकी वसूली के लिये नियमावली का शुद्धि-पत्र†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०६—बी ११—ग७—एम—टी—६४, दिनांक १० मार्च, १९६५ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा चुंगी के निर्धारण और उसकी वसूली के लिए नियमावली में, उक्त विभाग के शुद्धि-पत्र सख्या २४७—९—बी—बी ११—ग—७—एम—टी—६४, दिनांक ८ अक्तूबर, १९६९ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स चौथा (संशोधन) नियमावली, १९६९‡

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५९९८—टी/तीस—ख—३६—पी—६७, दिनांक २६ नवम्बर, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स चौथा (संशोधन) नियमावली, १९६९ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९‡

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सहकारिता (क) विभाग की संख्या ८६३२—सी/१२—सौ—ए—५ (१)—६९, दिनांक ५ दिसम्बर, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १३० की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६९‡

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिक विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५९४ १७—२८६—६९, दिनांक ३ दिसम्बर, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

‡छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, १९६९†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३९६८-सी/१२-सी—ए-५(१)-६९, दिनांक २३ जुलाई, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, १९६९ तथा विज्ञप्ति संख्या ५६७२-सी १२-सी—ए-५(१)-६९, दिनांक २७ अगस्त, १९६९ द्वारा प्रकाशित उनके शुद्धि-पत्र को, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १३० की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (संशोधन) नियमावली, १९६९†

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री रामकिंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २-२३(१८)'६७-१-ग-राजस्व-(ग) दिनांक १ जुलाई, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर अधिनियम, १९६३ की धारा २७ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६९†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६०७६-टी, ३०-ख-२१-६७, दिनांक ३१दिसम्बर, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६९ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का प्रशासन प्रतिवेदन, १९६५-६६‡

सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

श्री अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का प्रशासन प्रतिवेदन वर्ष १९६५-६६ को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ७५ की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७†

खाद्य तथा रसद उप मन्त्री (श्री रामकिंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१२ १-क/१२-१-६५, दिनांक ८ सितम्बर, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७ को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

‡छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६९‡

वित्त मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से (लेखा परीक्षा तथा बिक्रीकर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–७०८३ १०–१०१२ (५)–६५, दिनांक २९ अगस्त, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९६९ की उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का नवां वार्षिक प्रतिवेदन (१९६६–६७) ††

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का नवां वार्षिक प्रतिवेदन (१९६६–६७) तथा दसवां वार्षिक प्रगिवेदन, (१९६७–६८) की कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१ के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां†

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की––

(१) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–७०५९/१०–९०० (२१)–६९, दिनांक १ सितम्बर, १९६९,

(२) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–५०३८/१०–९०० (७१)–६९, दिनांक १७ सितम्बर, १९६९,

(३) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–२३९९/१०–९००(५३)–६९, दिनांक ३० सितम्बर, १९६९,

(४) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–८३९३/१०–९५०(२२)–६७, दिनांक ३० सितम्बर, १९६९,

(५) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–८०९०/१०–९००(१)–६१, दिनांक ३० सितम्बर, १९६९,

(६) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–८४९१/१०–९००(१)–६१, दिनांक ३० सितम्बर, १९६९,

(७) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–८४९२ १०–९००(१)–६१, दिनांक ३० सितम्बर, १९६९,

(८) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–९७०७/१०–९००(३७)–६९, दिनांक । दिसम्बर, १९६९,

(९) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१०२०९/१०–९००(२१)–६९, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६९, तथा

(१०) विज्ञप्ति संख्या एस–टी–१०३६९ १०–९००(१०२)–६९, दिनांक १ जनवरी, १९७०,

को उत्तर प्रदेश बिक्री–कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

‡छापी नहीं गयी।
†छापा नहीं गया।
††छ पी नहीं गयी।

नगरमहापालिका, इलाहाबाद द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८०—बी ११—ग—२७—एम—टी—६१, दिनांक ९ फरवरी, १९६८ द्वारा प्रख्यापित समाचार-पत्रों में विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर नगर महापालिका इलाहाबाद द्वारा कर निर्धारित और वसूल करन की नियमावली, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन काल में दिनांक १९ अगस्त, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नगर महापालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४३४५—बी ११—ग—५६—एम—टी—६०, दिनांक १२ नवम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर नगर महापालिका वाराणसी द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन-काल में दिनांक १६ दिसम्बर, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर नगर महापालिका, कानपुर द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से नगर महापालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४३१३—बी/११—ग—३१—एम० टी०—६२, दिनांक १२ नवम्बर, १९६८ द्वारा प्रख्यापित "समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर नगर महापालिका, कानपुर द्वारा कर निर्धारित और वसूल करने की नियमावली," जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका, अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन-काल में दिनांक १६ दिसम्बर, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिय प्राप्त भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४२ पर)

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, म आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मन्त्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४४ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २८ अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २९ अगस्त, १९६९ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ की प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २० अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २८ अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

[सचिव, विधान सभा]

ने अपनी दिनांक ३० जुलाई, १९६९ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३० अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३० जुलाई, १९६९ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३० अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों और सदस्यों के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों और सदस्यों के (वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २९ अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २ सितम्बर, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ६ सितम्बर, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन १९६९ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २५ मार्च, १९६९ की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३० अगस्त १९६९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ११ सितम्बर, १९६९ की प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १२ अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३० अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ११ सितम्बर को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का ९ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश, पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २९ अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २ सितम्बर, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १२ सितम्बर, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २९ अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २ सितम्बर, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ सितम्बर, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का ११ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३० जुलाई, १९६९ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २९ अगस्त, १९६९ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ सितम्बर, १९६९ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६९ का उत्तर प्रदेश का १२ वां अधिनियम बन गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है । विशेषाधिकार की अवहेलना के तीन प्रश्न आये हैं । उनके ऊपर मैं आज निर्णय नहीं दूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना मैंने श्री के०डी० शर्मा, एस०पी० बरेली के विरुद्ध दी है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे सुनाये देता हूं । यह इस प्रकार है।

बजट कापी न मिलने के संबंध में शिकायत

एक सदस्य—

बजट की कापी नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष—

जिनको न मिली हो वे आफिस से ले लें । बाकी को बंटवा दी गयी है ।

एक सदस्य—

यह तो व्यवस्था की गड़बड़ी है कि कुछ को मिली और कुछ को नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष—

बांटी तो गयी लेकिन उस समय आप मौजूद नहीं होंगे ।

[श्री के० डी० शर्मा, एस० पी० बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

तो एस० पी०, बरेली के विरुद्ध श्री चेतराम गंगवार का विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस प्रकार है:—

"दिनांक ३ जनवरी, ७० को अपने निर्वाचन क्षेत्र की बिगड़ती हुई शांति एवं व्यवस्था संबंधी समस्या के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु बरेली के पुलिस अधीक्षक, श्री के० डी० शर्मा के कार्यालय में उनसे मिलने गया । उस समय श्री भार्गव पत्रकार एस० पी० महोदय के पास बैठे थे तथा श्री गंगा सिंह, निवासी किसनापुर, जिला बरेली बाहर बरामदे में बैठे थे ।

मैंने बड़े विनम्र भाव से उनका ध्यान क्षेत्रीय समस्याओं की ओर आकृष्ट करना आरम्भ किया । मन कहा कि पुलिस ना जाने क्यों क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है । यह सुनते ही श्री शर्मा जान-बूझ कर मुझे अपमानित करने की नीयत से आग बबूला हो गये तथा उन्होंने कहा, एम० एल० ए० बने घूमते हैं, एसेम्बली की मेम्बरी की सिफारिश का धंधा बना लिया है, ठीक कर दूंगा । देखें आप असेम्बली में मेरा क्या बना लेते है ? म एम० पी०, एम० एल० ए० को कुछ नहीं समझता हूं । पुलिस के खिलाफ विधान सभा में कुछ कहा तो देख लूंगा ।

इस प्रकार उन्होंने जानबूझ कर मुझे विधान सभा के भीतर स्वतंत्र रीति से विचार प्रकट करने के कार्य को प्रभावित करने का प्रयास किया । इस से आदरणीय सदन के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना हुई है ।

अस्तु, आपके माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक, श्री के० डी० शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं ।"

इसके बारे में मैं अभी जानकारी करूंगा कि यह प्राइमाफेसी बनता है या नहीं । फिर इस पर बाद में मैं निणय लूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

इस पर निर्णय लेने से पहले आप मुझ को सुन लें । ४,६ रोज के बाद आप फैसला देंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आप जानकारी अध्यक्ष महोदय प्राप्त कर लें लेकिन यह एक विवादास्पद प्रश्न हो जायगा । जो एलिगेशंस माननीय सदस्य ने किय हैं उनसे न केवल एक माननीय सदस्य का अपमान है बल्कि सारे सदन का अपमान है, उस डेमोक्रटिक यूनिट का अपमान है जो लाखों को रिप्रजेंट

करती है। अब आप इस पर कार्यवाही करने से पहले उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। वह कहेंगे गलत है। बड़ी संभावना है कि वे डिनाई करें, कहें कि यह गलत है। मुझे याद है कि इस सदन की यह रूलिंग हो चुकी है कि किसी अधिकारी द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे किसी माननीय सदस्य का अपमान हो, वह माननीय सदस्य का ही अपमान नहीं है, इस सदन का अपमान है, डेमोक्रेसी का अपमान है।

श्री अध्यक्ष---

यह अगर फैक्ट है तो सदन का अपमान है। थोड़े से फैक्ट जानने की कोशिश तो मैं करूंगा। इस समय ही इसको कह देने से कैसे ठीक हो सकता है।

श्री चेतराम गंगवार---

मैं वहां पर माननीय गंगा सिंह जी, हमारे साथी भार्गव जी और चौधरी नौबत सिंह जी आदि अच्छे-अच्छे सम्मानित सदस्यों के साथ गया था। उनके पास रिवाल्वर और बन्दूकों के लाइसेंस हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं देना चाहता।

श्री चेतराम गंगवार---

बड़ी मुश्किल से तो आज आपने सदन को बुलाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री ब्रज भूषण लाल जी व माननीय राममूर्ति जी, जो भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके भाई ने के० डी० शर्मा साहब को टेलीफोन किया। कभी तो कहा गया कि सो रहे हैं, कभी कहा गया कि मीटिंग में गये हैं, कभी कहा कि खाना खा रहे हैं, कभी आराम कर रहे हैं। डेढ़ दो बजे कहा कि ४ बजे मिल सकते हैं। इन व्यक्तियों के साथ मैं शर्मा जी के पास गया। वे अन्दर बठे हुए थे। वहां केवल एक कुर्सी थी। वहां पर जो चपरासी खड़ा हुआ था उससे मैंने दो कुर्सी और लाने की बात कही। उस कुर्सी को मैंने खींचना चाहा जो उनकी साइड में पड़ी थी। के० डी० शर्मा साहब ने यह देख कर कि मैं कुर्सी हूं, क्यों कुर्सी खींच रहा हूं, शायद बुरा लगा।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे कमरे में आ जाइये।

श्री चेतराम गंगवार---

के० डी० शर्मा ने चपरासी को कुर्सी लाने से रोक दिया और कहा कि यह कौन हैं? मैंने कहा यह चौधरी नौबत सिंह, हरदेव सिंह और रीतराम जी हैं उनसे शर्मा जी बोले, मेरे बजाय उनकी ओर मुखातिब होकर बोले कि आप लोग एम० एल० ए० लोगों को साथ लाते हो, एम० पी० से टेलीफोन कराते हो, उनको मैं कुछ नहीं समझता। यह तीन जनवरी की बात है।

श्री अध्यक्ष---

मैं सोमवार को इस पर फैसला दे दूंगा। प्रिविलेज कमेटी बन गयी है, उसके सामने इसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन कुछ फैक्ट तो जानने दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार---

इसके पहले उनको वहां से हटाया तो जाय जिस से ठीक प्रकार से इंक्वायरी तो हो सके।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया सदन का समय न लीजिये, मेरा समय मेरे कमरे में आकर ले लीजिये।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के बाहर नीति संबंधी वक्तव्य देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

एक सदस्य—

मैंने १७ सितम्बर को आजमगढ़ जिले से एक तार आप को भेजा था। जिलाधीश ने मुझे अपने कमरे में बुला कर अपमानित किया। बार-बार लिखा, १७ सितम्बर को तार दिया।

श्री अध्यक्ष—

आपने कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया। एक चिट्ठी आपने भेजी थी जोकि मुख्य मंत्री के पास भेज दी गयी है। अगर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं तो कल भेज दीजियेगा।

दूसरा नित्यानन्द जी का है कि यह सर्वमान्य संसदीय परम्परा है कि सत्र काल में (बीच में किसी सदस्य के बोलने पर) जितने भी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हैं उनको पढ़ लेने दीजिये-"राजकीय घोषणाओं का सदन के बाहर करना यह सदन की अवमानना समझी जायगी। उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हो चुका है। कल मुख्य मंत्री, श्री चरण सिंह ने लगान माफी तथा पुलिस आयोग की नियुक्ति, आदि कई महत्वपूर्ण नीति संबंधी घोषणायें लखनऊ की एक सार्वजनिक सभा में की हैं। इससे सदन को प्राप्त विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। नीतियां स्वागत के योग्य हो सकती हैं परन्तु सदन की अवमानना करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती।"

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप चाहें तो कोई समय तय कर दें, चूंकि आप इस बात से सहमत होंगे कि राज्यपाल का अभिभाषण आज प्रातःकाल ११ बजे होना था और माननीय चरणसिंह जी ने कुछ ही घंटे पूर्व कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा की जिनका नीति से सम्बन्ध है और जोकि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर प्रथम बार आना आवश्यक था। मैं समझता हूं कि यदि सत्र को आहूत न किया गया होता, यदि सत्र के प्रारम्भ होने में और अधिक विलम्ब होता तो यह माना जा सकता था कि सरकार अपनी घोषणायें बार-बार करे। परन्तु सत्र अगले दिन प्रारम्भ हो रहा है और कुछ घंटे पहले इस सदन की अवमानना कर के माननीय सदस्यों के ऊपर प्रभाव डालने की दृष्टि से और इस खयाल से कि माननीय सदस्य बहुत भड़के हुए थे कि अगर सवा ६ एकड़ तक के लगान की माफी नहीं की जायगी तो उधर बैठने वालों की संख्या आधे से भी कम रह जायगी, इस प्रकार की घोषणायें की गयीं। मैं समझता हूं कि यह सदन की अवमानना हुई। यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, यह बड़ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऊपर आप कुछ समय दें, वाद-विवाद हो और निर्णय किया जाय कि आया इस सदन की अवमानना इस प्रकार से हुई अथवा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होकर बोलना शुरू करने पर)

मैंने मुख्य मंत्री को बुला लिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मुझे कह लेने दीजिये, मुख्य मंत्री का काम आसान हो जायगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल जब माननीय चरणसिंह जी मुख्य मंत्री थे १९६७ में और श्री रामचन्द्र विकल जी ने जो उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे उन्होंने ही, यह सदन खुलने वाला था लेकिन एक बयान बाहर दे दिया था उस पर भी प्रिविलेज का सवाल आया. . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने मुख्य मंत्री को बुलाया था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपको भी आसानी हो जायगी । माननीय विकलजी को तुरन्त माफी मांगनी पड़ी थी । इसलिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी भी वैसा ही कुछ कर दें तो सब का काम आसान हो जायगा ।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

इस प्रकार का प्रश्न कई बार उठ चुका है यहां भी और लोक सभा में भी कि इस तरह की घोषणायें एक प्रकार से सदन का अवमान हैं । लेकिन बराबर रूलिंग आपकी और लोकसभा के स्पीकर की यह हुई हैं कि यह कोई अवमान नहीं है । मैं इस वक्त रूलिंग्ज का हवाला तो नहीं दे सकूंगा, अगर आप जरूरी समझें तो कल के लिये मुल्तवी कर दें, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बातें आपके इल्म में हैं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं इस से सहमत नहीं हूं कि यहां या लोकसभा में इस तरह की रूलिंग्ज हुई हैं सदन के इस तरह के अवमान के विषय में ।

श्री अध्यक्ष—

वैसे मैं भी अभी देखूंगा लेकिन मुझे जहां तक याद है इसके विषय में मैंने यह तय किया था कि जो नीति सम्बन्धी घोषणायें हों और सदन बैठने वाला हो तो वे सदन में करनी चाहिये लेकिन . . . (व्यवधान) पर यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता । यह एक एटीकेट का सवाल है और अच्छा यही है कि नीति के सम्बन्ध में घोषणा मंत्रिगण यहीं करें जबकि सदन चल रहा हो । लेकिन इस के साथ ही यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि अभी आप इस विषय में अपनी रूलिंग न दें । हम लोग आप के सामने यहां की तथा लोकसभा की रूलिंग्ज को रख देंगे और उसके बाद आप कोई समय आगे इस पर विचार के लिये दे दें ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, जब मैं संविद मंत्रिमंडल का सदस्य था और उस समय के जो अध्यक्ष माननीय जगदीश शरण जी थे उन्होंने इस तरह की घोषणा सदन के होते हुए बाहर किये जाने को सदन का अवमान माना था और इस के फलस्वरूप मुझे खेद प्रकट करना पड़ा था और ऐसी चीज को विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माना था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख लूंगा यह सब, आप मेरे कमरे में मुझे बता दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप ने जो कहा वह तो शिरोधार्य है लेकिन आपने इस विषय को किस तिथि के लिये रखा है ?

श्री अध्यक्ष—

जो रूलिंग इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण मुझे दिला सकें वह दे दें और मेरे कमरे में उन पर विचार हो जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता सदन ने स्वीकार किया है और वह इस विषय पर यहीं पर विचार कराने को तैयार हैं। जहां तक एटीकेट की बात है उस तरफ से उसकी आशा तो करना बेकार है, उन से ऐसी एटीकेट की तो उम्मीद करना ही बेकार है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि कृपया आप सदन में इस पर विचार करने का अवसर दे दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी जो यह विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने आया है उस पर आपने कहा कि आ कर हमारे चेम्बर में रूलिंग दिखाकर बात कर लें। मेरा कहना है कि यह प्रश्न अब सदन के सामने आ चुका है और जब कोई प्रश्न सदन के सामने उठता है तो वह प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं बल्कि वह सारे सदन का प्रश्न हो जाता है। आप अगर केवल उस व्यक्ति को अपने चेम्बर में सन्तुष्ट करते हैं तो उतने से सारा सदन सन्तुष्ट नहीं होता। इसलिये इस पर विचार अब सदन में ही होना चाहिये ताकि सब के विचार आयें और पिछले निर्णय आयें और यहां विचार हो जाय ताकि भविष्य में ऐसी चीजें न हों।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है और जहां तक मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में श्रीमन् ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को आप कल या परसों जब आप चाहें ले लें और उस पर हमारे विचार सुन लें, जितने निर्णय अब तक के हैं, उनको देख लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस को स्वीकार करता हूं और मुख्य मंत्री जी ने भी अभी कहा है कि इस वक्त मैं उन रूलिंग को नहीं बता सकता, वह भी देख लेंगे और मैं भी देख लूंगा, आज तो नहीं करना है किसी और दिन रूलिंग बता दें तो बहस चलेगी लेकिन इस तरह से तो और कोई काम नहीं होगा और यहां बात चलती ही रहेगी। अब आप बैठें।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने अभी 'एटीकेट' शब्द का प्रयोग कर के कहा कि यह 'एटीकेट' की बात है, वह एटीकेट तो उन का हम ने देख लिया वह अगर होता तो वह यहां इस तरह से आते ही नहीं लेकिन वह सदन में बैठे हैं। अगर इस एटीकेट के बजाय मिसबिहेवियर हो जाय तो आप नहीं मानेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उसका भी डिफरेंस बहस में आ जायगा उसने भी क्या दिया है, उसी रोज बहस में आ जायगा। मैं इसका फर्क बता दूंगा।

अलाभकर जोतों के संबंध में अध्यादेश के बारे में जानकारी की मांग

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सदन भी भ्रम में है और हम भी भ्रम में हैं। मैं साफ जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री अलाभकर जोतों के बारे में घोषाण क रें। एक बार आपने कहा था कि इसका जिक्र १४ में है लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि नहीं है। इस में सरकार की क्या नीति है जब तक आप निर्णय नहीं देंगे, मैं नहीं सुनूंगा। आप यह कह कर कि "है" सदन को गुमराह कर रहे "हैं" अगर है तो आप बता दें।

श्री अध्यक्ष---

मैं दिखवा रहा हूं और अभी बता दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

आप मुख्य मंत्री जी से पूछ लीजिए कि इस में है या नहीं है। इसमें क्या परेशानी है?

श्री महीलाल द्वारा श्री मैनेजरसिंह के विरुद्ध नोटिस आफिस का गेट तोड़ने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय महीलाल जी ने लिखा है कि "मैं माननीय मैनेजर सिंह के विरुद्ध सदन के अवमान करने की सूचना देता हूं। पुलिस कमेटी क निर्णय के अनुसार आज नोटिस आफिस का गेट बन्द कर दिया गया था किन्तु श्री मैनेजर सिंह ने उसे तोड़ कर सदन के अन्दर प्रवेश किया। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था की थी, उस में व्यवधान पड़ा। अतः मेरा निवेदन है कि श्री मैनेजर सिंह के विरुद्ध सदन के अवमान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मुझे सूचना की प्रति मिली है। मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी माननीय महीलाल जी के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं.....

*श्री अध्यक्ष---

वह मुझे भेजा है या नहीं?

*श्री मैनेजरसिंह---

माननीय महीलाल जी ने एक माननीय सदस्य के ऊपर असत्य आरोप लगाया है, अतः मैं उनके विरुद्ध सूचना दे रहा हूं। लिखित नोटिस बाद में दे दूंगा।

दूसरे उन अधिकारियों के विरुद्ध भी अवमान की सूचना देना चाहता हूं जिन्होंने माननीय सदस्यों के सुविधा पूर्वक आवागमन में अवरोध पैदा किया है और मैं यह भी चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति में भज दें क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि आज से नोटिस आफिस के सामने वाला गेट बन्द हो गया है और न ही मैं समझता हूं कि अन्य किसी माननीय सदस्य को होगी। महीलाल जी को या उनकी ओर के माननीय सदस्यों को हो सकती है परन्तु जितने सदस्य वहां पर मौजूद थे, उनको जानकारी नहीं थी। आप या माननीय महीलाल जी इस बात को प्रमाणित करें कि मैंने फाटक तोड़ा या मैंने बल प्रयोग किया तो जो उचित दंड होगा, उसे मैं शिरोधार्य करूंगा। माननीय सदस्यों के दबाव के कारण फाटक टूटा है। मुझ खशी है कि धक्का लगने से वह फाटक टूटा है और वह टूटता रहेगा यदि इस प्रकार से अविवेक पूर्ण निर्णय लिये जायेंगे।

अलाभकर जोतों के सम्बन्ध में अध्यादेश के बारे में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

मैं यह बता दूं जो प्रश्न अभी सवा छः एकड़ के संबंध में किया गया कि वह नहीं रखा गया है। आइटम ११ में जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६९ है, उसमें यह आ गया है। उसमें यह लिखा है---भूतपूर्व सरकार ने गत माह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

दिसम्बर, १९६९ में यह निर्णय लिया कि सवा छः एकड़ अथवा उससे कम क्षेत्र की जोत वालों को मालगुजारी अदा करने के दायित्व से मुक्ति दे दी जाय। यह मुक्ति चालू कृषि-वर्ष की रबी किस्त से देने का निर्णय लिया गया। अस्तु, आवश्यक विधान अविलम्ब बनाया जाना जरूरी समझा गया और उस समय राज्य विधान मंडल सत्र में न होने के कारण यह विधान बनाने के लिये ३१ दिसम्बर, १९६९ को "उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६९" प्रख्यापित किया गया।

मैं पहले आइटम १४ में बताया गया था, वह ११ में था।

नेता, विरोधी दल के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---

मैं नेता विरोधी दल के नाम की घोषणा करना चाहता हूं। जो इस सबध में विधेयक है उसमें दिया हुआ है--"इस अधिनियम में पदावधि के नेता विरोधी दल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा में ऐसे सदस्य से है जिसे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।"

मुझे श्री कृष्णानन्द राय जी ने यह सूचना दी है कि उनके दल (कांग्रेस संगठन) ने चौधरी गिरधारी लाल को अपना अध्यक्ष चुना है। जो उनकी सदस्य संख्या है उस से स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष में उनका दल सब से बड़ा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दल ने अन्य किसी के लिये नेता विरोधी दल के लिये नहीं कहा है। इसलिये चौधरी गिरधारी लाल, नेता विरोधी दल, के पद पर निर्विरोध मनोनीत किये जाते हैं। मैं उनको निर्विरोध नेता विरोधी दल की मान्यता देता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

आपने कहा कि इनकी संख्या सब से अधिक है, कृपया वह संख्या तो बता दें कितनी है?

श्री अध्यक्ष---

उसकी जरूरत नहीं है। वह मैंने देख ली है।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

मैं आप को, कार्य मंत्रणा समिति ने जो कार्यक्रम स्वीकार किया है वह बताना चाहता हूं। विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक २५ फरवरी, १९७० की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की है :---

२६ फरवरी, १९७० को श्री राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बैठक ३ बजे से हो। पहले यह १२ बजे से रखा गया था, बाद में ३ बजे से कर दिया गया।

२७ फरवरी, १९७० को होने वाले असरकारी दिवस को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो तथा उसके उपरान्त बराबर यानी २७ फरवरी से लकर २, ३ तथा ४ मार्च, १९७० को इसी पर चर्चा हो। जो २७ को असरकारी दिन था उस दिन असरकारी कार्य नहीं लिया जायेगा, उसके बजाय बाद को कोई दूसरा दिन दे दिया जायेगा। ५ मार्च, १९७० को अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६९-७० का अनुपुरक) विधेयक, १९७० का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण रखा जाय और ५ बजे अपराह्न को १९७०-७१ के आय-व्ययक का

प्रस्तुतीकरण और वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण होगा।

९ मार्च, १९७० को श्री रामचन्द्र विकल का वर्ष में सदन के ३ सत्र करने से सम्बन्धित प्र ताव प्रश्नों के बाद रखा जायगा, उसके उपरान्त विधायी कार्य ९, १०, ११ मार्च, १९७० को लिया जायगा।

१२ मार्च, १९७० को लेखानुदान पर चर्चा, मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण रखा जाय और उसके बाद विधायी कार्य होंगे।

१३ मार्च, १९७० को मास का द्वितीय शुक्रवार है। वह असरकारी दिवस होगा और २७ फरवरी, १९७० को असरकारी दिवस के स्थान पर अन्य कोई दिन दिया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष जी, एक जानकारी चाहता हूं। अभी आपने बताया कि लेखानुदान शायद ९ को पेश किया जायगा और १२ तारीख को उस पर विवाद होगा। तो यह सदन यह भी जानना चाहेगा कि सरकार कितने महीने का लेखा अनुदान लाना चाहती है जिसके अनुसार हम लोग अपना कार्यक्रम बना सकें।

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति में इस बात की चर्चा हुई थी कि जितना समय आवश्यक होगा उसकी सूचना कार्य मंत्रणा समिति को किसी रोज दे देंगे। उसको जो विचार करना हो वह करे। लेकिन लेखानुदान कितने समय के लिये सरकार चाहती है इस पर जैसी आवश्यकता होगी उसका एस्टीमेट गवर्नमेन्ट को बनाना पड़ेगा। वह सरकार को किसी रोज बनाना होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपका ध्यान कार्यक्रम की संख्या (४) की ओर दिलाऊंगा। उसमें काय मंत्रणा समिति का यह प्रस्ताव है कि श्री रामचन्द्र विकल जी का यह प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के साथ कई लोगों का प्रस्ताव है। वह सब नाम इसके साथ आने चाहिए। कार्यमंत्रणा समिति में यह आश्वासन दिया गया था कि यह संशोधित रूप में यहां लाया जायगा। मुझे खेद है कि इसका संशोधन नहीं किया गया। यह प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों का प्रस्ताव है। उसमें श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी भी हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह दोबारा आया है। पहला प्रस्ताव लैप्स हो गया था। दूसरों ने फिर नोटिस दिया नहीं। अकेले विकल साहब ने दिया, इसलिए उनका नाम आ गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

नम्बर २ में २ मार्च छूट गया है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया। इस में गलत छप गया है। २ मार्च छपने से रह गया है। २, ३, ४ होना चाहिए।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा सिफारिश किये गये कार्यक्रम को स्वीकार करता है। मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से इस कार्यक्रम को स्वीकार किया है। मैं आशा करता हूं कि सदन भी इसे स्वीकार करेगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप पुर्नविचार के लिए भेजने के लिए कह सकते हैं। इसमें विरोध नहीं होना है।

*श्री मैनेजर सिंह---

मैं विरोधस्वरूप अपने भाव प्रकट करना चाहता हूं। यह गलत परम्परा बनायी जा रही है कि बराबर असरकारी दिवस को ले लिया जाता है सरकारी कामों में और कभी भी असरकारी दिवस दिया नहीं जाता। पिछले तीन चार साल का ब्यौरा आप निकालें तो देखेंगे कि बराबर असरकारी दिवस ले लिये गये हैं और उनकी पूर्ति नहीं की गयी है। जो प्रस्तुत प्रस्ताव है उसमें भी कहा गया है कि २७ फरवरी को असरकारी दिवस में सरकारी काम ले लिया जायगा। किसी दूसरे दिन असरकारी दिवस दिया जायगा। अगर यह होता कि २७ के स्थान पर अमुक तिथि को असरकारी दिवस में ले लिया जायगा तो संतोष होता। इसलिये मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह प्रस्ताव आप वापस करें। असरकारी दिवस न लें। यदि लेना है तो तिथि निश्चित कर दें कि इसके बदले अमुक तिथि को असरकारी दिवस का कार्य होगा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति ने जो कार्यक्रम स्वीकार करके भेजा है उसमें असरकारी दिवस २७ फरवरी ले लिया गया है। किसी कारण से कार्य मंत्रणा समिति ने उस दिन को लिया होगा। उस समिति में हर दल के लोग थे। संभव है कोई निर्दलीय न रहा हो। यदि ऐसा निर्णय लिया गया तो आप ऐसा रास्ता कृपया निकालें कि आगे और असरकारी दिवस न लिया जाय। किसी कारण से कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर बल दिया होगा किन्तु भविष्य में ऐसी गलती न हो। आगे असंतोष पैदा न हो तो आगे इसके लिये समय दिया जाय। मैं मैनेजर सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह संतुष्ट हो जायं। इस बार लाज रख लीजिए क्योंकि उन्होंने वचन दिया है।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं त्रिपाठी जी की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं बशर्ते कि यह घोषित किया जाय कि २७ के बदले वह कौन सा दिन देंगे। १३ तारीख के पहले ही हो।

श्री अध्यक्ष---

वह दूसरा दिन देंगे। वह इसमें लिखा हुआ है।

श्री मैनेजर सिंह---

वह दिन आगे बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

कार्य मंत्रणा समिति एक बार फिर बुलाई जायेगी और १३ तारीख के पहले ही बुलाई जायेगी।

श्री मैनेजर सिंह---

सदन की वर्तमान बैठक में ही होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

605-1

श्री महीलाल—

श्रीमन्, इसके अन्दर ही लिखा हुआ है। माननीय सदस्य ने नहीं देखा। इसमें है कि "२७ फरवरी, १९७० को असरकारी दिवस के स्थान पर अन्य कोई दिन दिया जायगा।" मेरी बात पूरी सुन लें।

श्री मैनजर सिंह—

उन्होंने पढ़ने के बाद कहा कि कोई दिन दिया जायेगा। कोई दिन निश्चित कर दिया जायेगा यह मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह फैसला होगा सदन का। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो सरकार को देना ही पड़ेगा। जो कार्य मंत्रणा समिति तय कर ले।

श्री महीलाल—

मान्यवर, इस सदन की मान्यता रही है कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय खड़े होते हैं तो माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि श्री महीलाल जी को इन बातों का स्मरण आया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव महीलाल जी द्वारा उपस्थित किया गया है उसको मैं आपकी स्वीकृति के लिये रखता हूं। क्या सदन उसे स्वीकार करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, दर्शक दीर्घाएं खाली पड़ी हैं। क्या लोगों को कल से पास मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

कल से आपके मित्र लोग बैठ सकेंगे। आज ऐसी बात थी जैसी कि पहले ११ तारीख को मालूम हुआ था कि संभवतः गड़बड़ होगी, इसलिए दोनों दिनों के लिये कर दिया था, दीर्घाओं में दर्शक नहीं बैठेंगे यह निश्चय किया गया।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

चौधरी साहब के राज में एक घड़ी में कुछ समय है और दूसरी घड़ी में कुछ और ही समय है.....

श्री अध्यक्ष—

यह चौधरी साहब की गलती नहीं है। घड़ियों को ठीक करवा दिया जायेगा।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थानों पर उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उपधारा २ के खण्ड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये तृतीय विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थानों पर उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उपधारा (२) के खण्ड (ङ०) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नेता, विरोधी दल के मनोनयन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं आपसे एक जानकारी के तौर पर । यह परम्परा यहां की रही है कि नेता, विरोधी दल वही होता है जो विरोध पक्ष में बैठता है और जिस दल की संख्या अधिक हो । कुछ पहले माननीय रियासत जी ने जानना चाहा कि कितनी संख्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि जब हर दल संख्या बताने में मजबूरी जाहिर करता है तो किस आधार पर माननीय गिरधारी लाल जी को नेता, विरोधी दल माना गया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं पूरी संख्या नहीं बता सकता हूं । लेकिन मैंने देख लिया है कि सबसे बड़ा विरोधी दल कौन सा है । जो संख्या थी जनसंघ की वह ४६ है और उससे ये ज्यादा हैं । विरोधी दलों में सबसे ज्यादा है । इतना स्पष्ट है कि कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है नियम के हिसाब से कि मैं यह प्रश्न निश्चित संख्या के बल पर ही फैसला करूं । उसमें लिखा है कि किसी सदस्य को मान लें । उसमें आधार रक्खा कि बहुमत विरोधी दलों में होना चाहिये । मैंने देख लिया कि विरोधी दलों में बहुमत है जिसमें कोई फर्क नहीं है ।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड में विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें पुनः संगठित प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड में उत्तर प्रदेश विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें पुनः संगठित प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड में उत्तर प्रदेश विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करन हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम किंकर—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन क वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४५–४७ पर)

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७०

नियोजन उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४८–४९ पर।)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि बिना यह जाने हुए कि चौधरी चरण सिंह के साथ कितने लोग थे आपने "हां" की संख्या अधिक कह दी। सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जब गुप्ता जी ने इस्तीफा दिया था चौधरी साहब हमारे साथ थ और उनके साथ जनसंघ, पी० एस० पी०, एस० एस० पी० तथा स्वतंत्र पार्टी के लोग थे और हम लोगों का स्पष्ट बहुमत था लेकिन राज्य पाल ने इन्द्रा जी के दबाव में आकर कांग्रेस (आर०) का साथ दिया। (शोरगुल) आप सदन के अध्यक्ष हैं। आपने कैसे निर्णय ले लिया कि "हां" की संख्या अधिक है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह अनुभव किया था। किसी ने उसके विपरीत दावा भी नहीं किया। विरोधी दल ने जब दावा नहीं किया तो सवाल इसका पैदा नहीं होता।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने हेत सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम किंकर—

मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५० पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७०

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५१-५२ पर।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५३–६० पर)

उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

नियोजन उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करनें हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६१–६३ पर ।)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलबीर सिंह---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६४–६८ पर ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापन हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अनवार अहमद---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६९-७२ पर ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलवीर सिंह---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७३-७७ पर ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बाधा उपस्थित करने के सम्बन्ध में खेद प्रकट करने के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री कमलापति त्रिपाठी ने एक प्रस्ताव मेरे पास भेजा है वह इस प्रकार है---

"आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने इस सदन की परंपरा तथा मर्यादा के विपरीत उनके भाषण में बाधा उपस्थित कर इस सदन तथा महामहिम राज्यपाल का अवमान किया है। उसके लिए यह सदन महामहिम राज्यपाल से हार्दिक दुख एवं खेद प्रकट करता है ।"

अभी इस पर फैसला नहीं दूंगा, बाद में कोई रोज मुकर्रर करूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, आप इस संकल्प को एडमिट कर लें और इस पर हमें बहस का मौका दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

एक दिन का मौका इस पर बहस का दे दें कि राज्यपाल का कार्य अपमान करने योग्य था या नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—

आप भी चाहते हैं और वे भी चाहते हैं। मैं इस संबंध में माननीय कमलापति जी से बात कर लूं। इस पर मैं आज फैसला नहीं दूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल का अभिभाषण ४ रोज होगा, चारों रोज हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मैं कमलापति जी से बातचीत कर लेना चाहता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस संबंध में मेरा एक सुझाव था। इस प्रस्ताव को त्रिपाठी जी ने रखा है और जायसवाल जी ने भी अपने विचार उसके बारे में रखे हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो चर्चा होगी, सब लोग उसी समय सब बातें दिल खोल कर कर लेंगे और इस प्रस्ताव की बात भी हो जायगी। इसमें दोनों का ही काम बन जाता है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२६ फरवरी, १९७० ।

'नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के साथ समवेत दोनों सदनों को उनके २६ फरवरी, १९७० को प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा० बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी का अभिभाषण।

विधान मण्डल के सदस्यगण,

नये वर्ष के प्रथम सत्र के लिए यहां एकत्र आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस वर्ष गांधी शताब्दी सम्बन्धी आयोजनों की औपचारिक पूर्णाहुति हम हाल ही में, कस्तूरबा की पुण्यतिथि पर, बाईस फरवरी को कर चुके हैं। गांधी शताब्दी वर्ष में बादशाह खां हमारे निमंत्रण पर इस देश में पधारे व उत्तर प्रदेश को भी उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी वर्ष हमने महान् सन्त गुरु नानक देव की पांच-सौवीं जन्म-तिथि भी मनायी है। हमें ये महापुरुष ध्रुवतारे के समान सही रास्ता बताने में सहायक होंगे यह मेरा विश्वास है। यों तो हर नया साल नई आशाओं का सन्देश लेकर आता है और हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए नया उत्साह देता है पर हमारे लिए यह वर्ष विशेष महत्वपूर्ण है।

यह हम सभी जानते हैं कि यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अन्य कई प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे रह गया है। हमारे प्रदेश में अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो देश के सबसे पिछड़े हुए हिस्सों में से हैं। प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कितने ही कदम यहां उठाये गये हैं और लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयत्न भी किया गया है। फिर भी, अन्य प्रदेशों की तुलना में, हम, बढ़ना तो दूर रहा, पिछड़ गये हैं।

प्रदेश की गरीबी व पिछड़ापन दूर करने और उसके विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। वह यह समझती है कि अब नारों से नहीं वरन् ठोस कार्यों से ही प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाया जा सकता है। इसके लिए सब से पहले स्वच्छ, कुशल व सुदृढ़ प्रशासन आवश्यक है जिसमें विलम्ब, अपव्यय और भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। जन हित और प्रगतिशीलता सरकार की नीति के मुख्य लक्ष्य हैं। उत्पादन बढ़ाया जायेगा। कृषि उत्पादन व लघु उद्योगों पर विशेष बल दिया जायेगा। निहित स्वार्थों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार सुधारने का प्रयास होगा कि जनता का चरित्र व मनोबल ऊंचा हो तथा वह पुरुषार्थी व कर्त्तव्यपरायण बने। प्राथमिक और प्राविधिक शिक्षा पर अपेक्षया अधिक ध्यान दिया जायेगा। बेरोजगारी और आय में असमानता को कम करने का हर संभव प्रयास होगा। उपेक्षित वर्गों को समुन्नत करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। हमारे साधन सीमित हैं और कठिनाइयां भी अनेक हैं, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों से ही हमें आगे बढ़ने का उत्साह प्राप्त होता है।

आपको मालूम ही है कि नये मंत्रिपरिषद् ने अभी कुछ दिन पहले ही कार्य-भार संभाला है। उसे अपने उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, कार्यक्रम तैयार करके आप के सामने लाने में कुछ समय अवश्य ही लगेगा। फिर भी, इस थोड़े समय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं। सरकार ने सिद्धान्ततः प्रदेश की चीनी मिलों को लेने का निश्चय किया है और इस सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति की है जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। उर्वरकों पर से तीन प्रतिशत का बिक्रीकर तत्काल रद्द कर दिया गया है। आगामी रबी की फसल में तीन लाख टन गेहूं खरीद करने का निश्चय किया गया है जिससे गेहूं के भावों में, किसानों के हितों को देखते हुए, गिरावट न आने पावे। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम को अन्य बातों के अलावा इस प्रकार संशोधित करने का निश्चय किया गया है कि एक परिवार जिसमें खातेदार, उसकी पत्नी अथवा उसका पति व उसके नाबालिग बच्चे

शामिल होंगे, कुल मिलाकर तीस एकड़ से अधिक भूमि न रख सकेंगे और बागों व सहकारी समितियों को जो अधिकतम जोत सीमा से छूट मिली है वह समाप्त हो जायेगी। सरकार का यह विचार है कि जिन लोगों के पास तीन सही एक बटा आठ एकड़ यानी पांच पक्के बीघे जमीन है, उनको मालगुजारी से छूट दी जाय। किसानों द्वारा अपना गन्ना पेरने के संबंध में सभी प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं। फैक्ट्री गेट से पांच मील के बाहर क्रशर लगाने की इजाजत दे दी गयी है। गन्ना-क्रय-केन्द्रों के निकट क्रशर लगाने पर प्रतिबन्ध तथा केन्द्रापग अर्थात् सेन्ट्रीफ्यूगल मशीनों के सम्बन्ध में सभी प्रतिबन्ध हटा लेने का निश्चय किया गया है। जोत-बही का मूल्य आगे के लिए तीन रुपये से घटा कर एक रुपया कर दिया गया है। राज्य ट्रान्सपोर्ट अथारिटी व क्षेत्रीय ट्रान्सपोर्ट अथारिटियों के पुनर्गठन का निश्चय लिया गया है। एक विधि आयोग भी गठित करने का निश्चय किया गया है जो न्याय प्रशासन विधियों की जांच करेगा और वर्तमान न्याय प्रशासन व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगा। इसके अलावा एक दूसरे आयोग की नियुक्ति भी की जा रही है जो थानों में रिपोर्ट लिखाने और अपराधों को छिपाने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करके सुझाव देगा।

इस सत्र में कुछ अध्यादेशों व राष्ट्रपति अधिनियमों के विधेयक समय से पारित करने हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये अनुपूरक अनुदान और आगामी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए लेखानुदान आपको स्वीकृत करने होंगे। अगले सत्र में बजट के साथ-साथ सरकार अपनी विस्तृत नीतियों व योजनाओं पर प्रकाश डाल सकेगी। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, राज्य सरकार उनका स्वागत करेगी और उन पर गम्भीरता से विचार करेगी।

जय हिन्द !

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २० पर)

भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अधिनियम ४५, १८६० की धारा १०३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, भारतीय दंड संहिता की धारा १०३ में, खंड चौथा के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"पांचवां—अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा—

(क) किसी ऐसी सम्पत्ति को जो सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकारी, अथवा सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन अन्य निगम, के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो अथवा प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हो; या

ऐक्ट ९, १८९० / ऐक्ट ५१, १९५५

(ख) किसी रेलवे को जैसा कि इंडियन रेलवेज ऐक्ट, १८९० की धारा ३ के खंड (४) में परिभाषित है अथवा रेलवे स्टोर्स को जैसा कि रेलवे स्टोर्स (अनलाफुल पजेशन) ऐक्ट, १९५५ में परिभाषित है; या

ऐक्ट ४, १९३९

(ग) किसी ट्रान्सपोर्ट वेहिकिल को जैसा कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा २ के खंड (३३) में परिभाषित है, की गयी आरिष्ट।"

उद्देश्य तथा कारण

भारतीय दंड संहिता की धारा १०३ में यह व्यवस्थित है कि सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, भारतीय दंड संहिता की धारा ९९ में निहित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, उसमें उल्लिखित अपराधों के लिए दोषकर्ता की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि करने तक है। भारतीय दंड संहिता की धारा १०३ के वर्तमान उपबन्धों की उपयोगिता बलवा हो जाने के दौरान आगजनी के मामलों में, जैसे रेलवे की सम्पत्ति और बसों आदि में आग लगा देने के मामलों में बहुत ही सीमित है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा १०३ में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन से न केवल पुलिस बल्कि कोई भी नागरिक ऐसे विध्वंसकारी कार्य को तथा सार्वजनिक सम्पत्ति और बसों तथा टैक्सियों को क्षति पहुंचाने के मामलों को, जो कि बल्वे में बहुधा होते हैं, प्रभावकारी ढंग से रोकने में समर्थ होगा।

अतएव, तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्र भानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २१ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

नियम १४७ के अन्तर्गत

१—खंड २ में बढ़ाई गई धारा १००-क (१) की पंक्ति ४ में शब्द 'वक्फ' और 'न्यास' के बीच अर्द्ध-विराम (कामा) का चिन्ह रख दिया गया है।

२—खंड २ में बढ़ाई गयी धारा १००-ख की उपधारा (१) के खंड (ख) की प्रथम पंक्ति में '१९४६' के बाद "ई०" बढ़ा दिया गया है।

३—खंड २ में बढ़ायी गयी धारा १००-ख की उपधारा (१) के खंड (ग) की पंक्ति ५ में शब्द "अधिकार" और "था" के बीच शब्द "रखात" बढ़ा दिया गया है, तथा इसी खंड की पंक्ति ७ में शब्द "अधिनियम" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" कर दिया गया है।

४—खंड २ में बढ़ाई गई धारा १००-ख की उपधारा (२) के अन्त में पूर्ण विराम का चिन्ह रख दिया गया है।

५—खंड २ में बढ़ाई गयी धारा १००-ख की उपधारा (३) के अन्त में चिन्ह "।" रख दिये गये हैं।

६—खंड २२ में क्रम संख्या २०-क की प्रविष्टि ३ में शब्द "धिकार" के स्थान पर शब्द "अधिकार" रख दिया गया है और प्रविष्टियों के अन्त में चिन्ह " रख दिया गया है।

७—खंड २७ के उपखंड (२) की पंक्ति १० में शब्द "यथविधि" के स्थान पर शब्द "यथाविधि" कर दिया गया है।

८—खंड ३३ के उपखंड (२) में शब्द "पशुपालन" और शब्द "या" के बीच का चिन्ह हटा दिया गया है।

९—खंड ३३ के उपखंड (५) में बढ़ाये गये खंड (च) की पंक्ति ७ में शब्द "धनरशि" के स्थान पर शब्द "धनराशि" तथा शब्द "के" के स्थान पर शब्द "की" कर दिये गये हैं।

नियम १५९ के अन्तर्गत

१—खंड २४ की उपान्तिक टिप्पणी में "धारा ११" के स्थान पर "धारा ११-क" कर दिया गया है।

२—खंड २७ के उपखंड (२) की पंक्ति ८ में शब्द "यथास्थिति" के बाद अर्द्धविराम (कामा) का चिन्ह रख दिया गया है।

३—खंड ३३ उपखंड में (५) के बढ़ाये गये खंड (च) की प्रथम पंक्ति में शब्द "योगना" के स्थान पर शब्द "योजना" कर दिया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २१ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों (के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९६९ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

नियम १४७ के अन्तर्गत

१—खंड १ के उपान्तिक शीर्षक में "संक्षिप्त नाम" के बाद शब्द "व प्रारम्भ" जोड़ दिये गये हैं।

२—खंड ४ के उपान्तिक शीर्षक में अंक "४" और शब्द "संशोधन" के बीच शब्द "का" जोड़ दिया गया है।

३—खंड ८ के द्वारा बढ़ाये गये स्पष्टीकरण के खंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "रखरखाव" के बाद चिन्ह" रख दिया गया है, तथा उक्त खंड (क) के अन्त में चिन्ह; (सेमीकोलन) रख दिया गया है।

४—खंड ९ में मूल अधिनियम की धारा ६ की बढ़ायी गयी उपधारा (३) की पंक्ति ५ में शब्द "कोई" और "का" के बीच "ाद" के स्थान पर शब्द "बाद" कर दिया गया है।

५—खंड ११ के उपखंड (१) में मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) में बढ़ाये गये वाक्यांश के बाद चिन्ह; (सेमीकोलन) रख दिया गया है, तथा उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में "उधारा" के स्थान पर "उपधारा" कर दिया गया है।

६—खंड १२ में बढ़ायी गयी धारा २-क की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "के" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया गया है।

७—खंड १२ में बढ़ायी गयी धारा २-क की उपधारा (४) के अन्त में चिन्ह" रख दिया गया है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५ पर)

उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ का अग्रेतर संशोधन करने और कतिपय करों की वसूली के निमित्त दीवानी वादों पर रोक लगाने की व्यवस्था करने और कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २५, १९६५ का संशोधन।

२—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ की धारा ३, दिनांक ४ दिसम्बर, १९६५ से, निरस्त की जाती है और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित की जाती है कि—

(१) उपधारा (१) में शब्द "तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना," निकाल दिये जायें

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(३) उपर्युक्त प्रकार की देय किसी धनराशि की वसूली के लिये उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से—

(क) राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी, स्टेट बैंक आफ इंडिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक के हक में किसी बंधक, भार या किसी गिरवी के सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं समझी जायगी और न किसी अन्य अधिकार या प्रत्युपाय पर प्रभाव पड़ेगा;

या

(ख) उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी अनुबंध के सम्बन्ध में की गयी क्षति-पूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने पर रोक नहीं समझी जायगी और न किसी अन्य अधिकार या प्रत्युपाय पर प्रभाव, पड़ेगा।"

कतिपय दशाओं में दीवानी वाद पर रोक

३—(१) (क) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, चाहे वह संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित किया गया हो या उसके पश्चात्, भारित, आरोपित या संगृहीत किसी कर, उपकर, शुल्क, उपशुल्क, या किसी अन्य महसूल, चाहे उसका कोई भी नाम हो, यदि किसी अधिनियमित में यह व्यवस्था हो कि उसे मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(ख) तकावी या अन्य किसी देय, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, किन्तु खण्ड (क) में व लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ में अभिदिष्ट देयों से भिन्न हो, यदि किसी उत्तर प्रदेश की अधिनियमित में, चाहे वह संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित की गयी हो या उसके पश्चात्, यह व्यवस्था हो कि उसे मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है;

की वसूली के लिये कोई भी वाद न तो दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा और न २५ जनवरी, १९५० के पश्चात् किसी समय, कभी प्रस्तुत किये जाने के योग्य समझा जायगा।

(२) ऐसी प्रत्येक अधिनियमित जिसमें उप-धारा (१) में अभिदिष्ट किसी धनराशि की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली के लिये व्यवस्था हो, उसके प्रारम्भ होने के मूल दिनांक से, निरस्त की जाती है और इस प्रकार पुनः अधिनियमित की जाती है, जिससे कि वह उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी रहे।

(३) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी ऐसी अधिनियमिति के सम्बन्ध में लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या तो समाप्त हो गई थी या निरस्त कर दी गई थी।

वैधीकरण।

(४) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ की धारा ३ में या इस अधिनियम की धारा ३ में अभिदिष्ट किसी धनराशि की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई या करने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, और उक्त कार्यवाही के अनुसरण में या उसके फलस्वरूप की गई या करने के लिये तात्पर्यित क्रिया या कार्यवाही, यथास्थिति, धारा २ या धारा ३ द्वारा पुनः अधिनियमित संगत अधिनियमित के उपबन्धों के अधीन व उनके प्रभाव से की गयी और सदैव से की गई समझी जायगी, तथा वह उतनी ही वैध समझी जायेगी और सदैव से वैध समझी जायगी मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार-वान अवसरों पर प्रवृत्त थे।

अपवाद

५—धारा २ और ३ की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उनमें अभिदिष्ट किन्हीं धनराशि की वसूली के लिये किसी दीवानी न्यायालय द्वारा किसी वाद में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, दी गई किसी डिक्री की वैधता या निष्पादेयता पर प्रभाव पड़ता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी, मालगुजारी की बकाया के रूप में किसी ऐसे निर्णीत ऋण की वसूली के लिए कोई कार्यवाही संधार्य न होगी।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १, १९७० का निरसन।

६—उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका संख्या ३३४ सन् १९६८ के अपने १८ अगस्त, १९६९ के निर्णय द्वारा लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ की धारा ३ को संविधान के अनुच्छेद १४ के विपरीत इस आधार पर घोषित कर दिया कि उस अधिनियम में राज्य को यह निरंकुश विवेकाधिकार प्राप्त है कि बाकीदार के विरुद्ध वे या तो दीवानी न्यायालय में चाराजोई करें या सरसरी तौर पर मालगुजारी की वसूली की भांति कार्यवाही करें। इस निर्णय के कारण यह आशंका उत्पन्न हो गई कि उत्तर प्रदेश की अन्य अधिनियमितियों के वे प्राविधान जिनमें किसी कर, उप-कर, शुल्क, उप शुल्क या अन्य किसी महसूल या अन्य देयों को मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल करने की व्यवस्था की गई है, भी उसी आधार पर अवैधानिक घोषित न कर दिये जावें। करों तथा अन्य देयों की वसूली के दृष्टिकोण से यह स्थिति असंतोषजनक थी। अतएव यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी मामलों में केवल सरसरी कार्यवाही की व्यवस्था रखी जावे और दीवानी न्यायालयों में बाद दायर करने का वैकल्पिक उपचार त्याग दिया जाय और इस प्रकार उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का आधार समाप्त कर दिया जावे जिसके अनुसार वसूली के विशेष प्राविधानों को अधिकारातीत घोषित किया गया है। तद्नुसार राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोकधन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) आदेश, १९७०, ६ जनवरी, १९७० को प्रख्यापित किया।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है।

श्रीपति मिश्र,
राजस्व मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३५ पर)

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, १९७०

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी रखने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या ५, १९०८ की धारा १३७ का संशोधन

२—सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा १३७ की उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च-न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी ।

अधिनियम संख्या ५, १८९८ की धारा ३६७ का संशोधन

३—दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ३६७ की उपधारा (१) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिंदी होगी ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९७० का निरसन

४—उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार द्वारा दिनांक ८ अक्तूबर, १९४७ को दो विज्ञप्तियां, एक सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ व दूसरी दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अधीन, जारी की गई थीं, जिनके अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही अधिकांश रूप से हिंदी में होने लगी, किन्तु निर्णय तथा आदेश अंग्रेजी में भी लिखे जाते रहे क्योंकि उक्त संहिताओं के अधीन पीठासीन अधिकारियों को यह विकल्प था कि वह चाहें तो न्यायालय की भाषा का प्रयोग करें, चाहे अंग्रेजी का।

२—अतएव सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा १३७ (३) में तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ३६७(१) में भी एक प्रतिबन्धात्मक खण्ड (प्राविजो) बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों में अंग्रेजी के प्रयोग का बिकल्प हटाने के आदेश दे सकें।

३—तद्नुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री।

ज्ञापन—पत्र

जिसमें उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, १९७० में संशोधित करने की आवश्यकता स्पष्ट की गई है।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, १९७० की धारा २ तथा ३ में आए शब्द "न्यायालयों" से तात्पर्य उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों से है क्योंकि उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में तो संविधान के अनुच्छेद ३४८ में विशेष उपबन्ध अलग से है। अध्यादेश के शीर्षनाम व दीर्घनाम से भी यह अन्तर्निहित था कि अध्यादेश के उपबन्ध उच्च न्यायालय पर लागू नहीं हैं। उसी को अधिक स्पष्ट करने के लिये उक्त दोनों धाराओं में "ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों" वाक्यांश से पूर्व "उच्च न्यायालय के अधीनस्थ" शब्द और जोड़ दिये गये हैं। यह एक शाब्दिक संशोधन है।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

यूनाइटेड प्राविंसेज (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन ।

२—यूनाइटेड प्राविंसेज (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९६९" के स्थान पर संख्या "१९७०" रख दी जाय ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९६९ का निरसन ।

३—उत्तर प्रदेश (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश १९६९ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उद्देश्य तथा कारण

यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की अवधि ३० सितम्बर, १९६९ को समाप्त हो रही थी । आवास समस्या अब भी जटिल बनी हुई है । नागर क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में, राज्य में नये भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है । परिणामत: खाली भवनों की उपलब्धि तथा उनकी मांग में अब भी काफी अन्तर है । निवास स्थानों की कमी के कारण उपलब्ध निवास-स्थानों को किराये पर उठाये जाने पर नियंत्रण रखना और बेदखली पर प्रतिबन्ध बनाये रखना आवश्यक है । उक्त ऐक्ट के कार्यान्वयन के दौरान उसमें कुछ त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं तथा इन त्रुटियों की ओर न्यायिक निर्णयों में भी इंगित किया गया है । तदनुसार, उक्त ऐक्ट को प्रतिस्थापित करने के लिये एक बहुत वृहत् विधेयक बनाया जा रहा है और इसी बीच उक्त ऐक्ट की अवधि को उत्तर प्रदेश (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९६९ द्वारा छः माह के लिये, अर्थात् ३१ मार्च, १९७०, तक बढ़ा दिया गया । चूंकि वृहत् विधेयक को अन्तिम रूप देने में अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है, अतएव, मूल ऐक्ट की अवधि को अग्रेतर ३० सितम्बर, १९७० तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है ।

२—तदनुसार, उत्तर प्रदेश (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पुर:स्थापित किया जाता है ।

श्री पति मिश्र,
मन्त्री,
खाद्य तथा रसद विभाग ।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ के पुनः अधिनियम और चालू रखे जाने का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, १९७० कहलायगा ।

(२) यह १ जनवरी, १९६८ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के अवसान के होते हुए भी, उक्त अधिनियम, जहां तक कि वह चमोली , उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों से संबंधित है, पुनः अधिनियमित किया गया समझा जायेगा और ३१ दिसम्बर, १९७० तक प्रवृत्त बना रहेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) इस प्रकार प्रभावी होगी मानों शब्द, अंक तथा अक्षर "सिवाय उत्तराखण्ड डिवीजन के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त हो जायेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "सिवाय चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९७० को समाप्त हो जायेगी" रख दिये गये हों ।

बंधीकरण

३—शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कृत्यों के निर्वहन का तात्पर्यित निर्वहन में ३१ दिसम्बर, १९६७ को या तत्पश्चात् किया गया कोई कार्य, या की गई कोई कार्यवाही, या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत उद्गृहीत किया गया कोई कर या पथ-कर या लिया गया शुल्क आता है, इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगा मानों वह विधि के अनुसार किया गया, की गई, दिया गया, उद्गृहीत किया गया या लिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से या उनके अनुपालन में असफलता से कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषी न होगा यदि ऐसा उल्लंघन या असफलता ३१ दिसम्बर, १९६७ को या तत्पश्चात् और २८ जून, १९६८ से पूर्व हुई हो ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १९, १९६८ और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९ १९६९ का निरसन

४—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, १९६८ और उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ जैसा कि उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, १९६८ द्वारा पुनः अधिनियमित तथा चालू रखा गया, के अधीन चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी के तीन सीमावर्ती जिलों में अन्तरिम जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। इस उद्देश्य से कि राज्य की शेष जिला परिषदों के निर्वाचन के साथ ही साथ इन जिलों में भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन जिला परिषदें स्थापित करने के निमित्त निर्वाचन कराये जायें, इन जिलों में ३१ दिसम्बर, १९७० तक अन्तरिम जिला परिषदें बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अध्यादेश, १९६९ प्रख्यापित किया गया था। वर्तमान विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

शिवराज सिंह,

सामुदायिक विकास मंत्री।

उत्तर प्रदेश सरकार सत्यमेव जयते

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३७ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि–उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ का अग्रेतर संशोधन तथा तद्धीन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिये,

उत्तर प्रदेश अधि- नियम संख्या २५, १९६४

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

अध्याय २

संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि- नियम संख्या २५, १९६४ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:

"क—'कृषि-उत्पादन' का तात्पर्य कृषि, उद्यान-कर्म, द्राक्षाकृषि, मधु मक्खी पालन, कोश-कीट-पालन, मत्स्य संवर्धन, पशु-पालन, या वन उत्पादन की ऐसी मदों से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट हों, और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सम्मिश्रण भी है, और इसमें संसाधित रूप में ऐसी कोई मद भी सम्मिलित है, और इसके अन्तर्गत गुड़, राब, शक्कर, खाण्डसारी तथा जगरी भी है ।"

नयी धारा ४-क का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार

"४-क—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की किसी मद को बढ़ा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है और तदुपरान्त अनुसूची तदनुरूप संशोधित हो जायेगी ।"

धारा ७ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात:-

"७—धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा मण्डी क्षेत्र के ऐसे भाग को जो निर्दिष्ट किया जाय प्रधान मण्डी स्थल और ऐसे अन्य भागों को जो निर्दिष्ट किये जायं, उप मण्डी स्थल घोषित कर सकती है ।"

धारा १० का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "और जो धारा १४ के अधीन समिति के संघटन के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत होने के पहले का न होगा" निकाल दिये जायं ।

धारा १३ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १३ में —

(१) उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (६) में शब्द "व्यापारियों, दलालों और आढ़तियों के तीन प्रतिनिधि" के स्थान पर शब्द "व्यापारियों के दो प्रतिनिधि और आढ़तियों का एक प्रतिनिधि " रख दिये जांय;

(२) खण्ड (७) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्:—

"(७) मण्डी क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली गांव सभाओं के प्रधानों द्वारा निर्वाचित मण्डी क्षेत्र के आठ उत्पादक ;

(७—क) मण्डी क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे दो से अनधिक उत्पादक जो अनुसूचित जातियों के हों ";

(३) खण्ड (८) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(८) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो सरकारी अधिकारी, जिनमें से एक कृषि विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा:"; और

(४) खण्ड (८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(९) मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली समस्त क्षेत्र समितियों की उत्पादन समितियों के सभापति";

(२) उपधारा (२) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक खण्ड (४), (५) और (८) के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "खण्ड (४), (५) , (७—क) और (८) के अधीन" रख दिये जायं; और

(३) उपधारा (१२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(१३) उपधारा (१) के खण्ड (८) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य को समिति की किसी बैठक में मत देने का अधिकार न होगा ।"

धारा १४ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्:—

प्रथम समिति या नयी समिति का संघटन

"(१) राज्य सरकार , गजट में विज्ञप्ति द्वारा , प्रथम समिति के, या धारा ८ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नई समिति के सभापति तथा उप सभापति सहित, सभी सदस्यों की नियुक्ति, उन व्यक्तियों में से करेगी जो राज्य सरकार की राय में धारा १३ की उपधारा (१) में अभिनिर्दिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिये उपयुक्त हों ।"

धारा १५ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १५ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट करके पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड का इस प्रकार

अर्थ किया जायेगा मानो कि शब्द 'निदेशक' के स्थान पर शब्द 'राज्य सरकार' रखे गये हों ।"

धारा १६ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (२) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में वार्षिक व्यय, समिति की कुल वार्षिक प्राप्तियों के, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये ऋण और उसे दिये गये अग्रिम धन या आनुदान नहीं हैं, दस प्रतिशत से अधिक, सिवाय निदेशक के पूर्वानुमोदन के, न होगा ।"

धारा ३६ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि उस उपविधि से, जो निदेशक द्वारा सुझायी गयी प्रारूप या प्रतिमान उपविधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उपविधि तब तक वैध न होगी जब तक कि वह निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दी जाय ।"

अनुसूची का बढ़ाया जाना

११—मूल अधिनियम की धारा ४० के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

अनुसूची

[धारा २ (क) और ४ क]

क—कृषि

१—अन्न

१—गेहूं

२—जौ

३—धान

४—चावल

५—ज्वार

६—बाजरा

७—मक्का

८—बेझर

९—मडुवा

१०—जई

११—काकुन

१२—कोदों

१३—कुटकी

१४—सावां ।

२—द्विदलीय उत्पाद

१—चना

२—मटर

३—अरहर

४—उरद

५—मूंग

६—मसूर

७—लोबिया (बीज)

८—सोयाबीन

९—खेसारी

१०—सनई (बीज)

११—ढैंचा (बीज)

१२—ग्वार

१३—मोठ

१४—कुलथी ।

३—तिलहन

१—सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, जिसमें राई, दुवां तारामीरा और तोरिया सम्मिलित हैं ।

२—सेहुंवां (बीज)

३—अलसी

४—अंडी

५—मूंगफली

६—तिल

७—महुआ की गुठली

८—गुल्लू

९—बिनौला

१०—बर अथवा कुसुम (बीज)

४—रेशे

१—जूट

२—सनई का रेशा

३—रुई (ओटी हुई और बिना ओटी) ।

४—पटसन

५—ढैंचा

६—रामबांस

७—मेस्टा ।

५—स्वापक

१—तम्बाकू ।

६—मसाले

१—धनियां

२—पकी मिर्च

३—मेथी (बीज)

४—सोंठ

५—सौंफ

६---हल्दी
७---खटाई, अमचूर
८---जीरा।

७---घास तथा चारा

१---सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ)
२---भूसा ।

८---विविध

१---चौलाई (बीज)
२---पोस्ता
३---रामदाना
४---अखरोट
५---बान
६---निमकौली
७---सेलेरी का बीज
८---अम्ब्रिज बीज
९---महुवा का फूल (सखा)
१०---चिरौंजी
११---बरसीम (बीज)
१२---ल्यूसर्न (बीज)
१३---मखाना
१४---गन्ना
१५---मेस्टा बीज।

ख---उद्यान-कर्म

१---शाक

१---आलू
२---प्याज
३---लहसुन
४---शकरकन्द
५---अरवी
६---अदरक (हरी)
७---कचालू
८---मिर्च
९---टमाटर
१०---बन्द गोभी, फूलगोभी, गांठ गोभी ।
११---गाजर
१२---मूली
१३---बैंगन
१४---टिन्डा
१५---लौकी
१६---हरी मटर
१७---शलजम
१८---परवल
१९---सेम
२०---साग (सब प्रकार के)
२१---पान
२२---चुकन्दर
२३---रतालू
२४---जिमीकन्द
२५---सलाद
२६---सोया
२७---कटहल (कच्चा)
२८---ककड़ी-खीरा
२९---चिचिण्डा
३०---करेला
३१---तरोई
३२---पेठा
३३---भिन्डी
३४---कद्दू
३५---ग्वार
३६---इमली
३७---बण्डा
३८---सिंधाड़ा
३९---लोबिया हरी।

२---फल

१---नींबू
२---नारंगी
३---मसम्बी
४---माल्टा
५---ग्रेप फ्रूट
६---केला
७---अनार
८---स्ट्राबेरी
९---खरबूजा
१०---तरबूजा
११---फूट
१२---पपीता
१३---फालसा
१४---पोस्ता
१५---सब
१६---अमरूद
१७---बेर
१८---आंवला
१९---लीची
२०---चिकू
२१---आड़ू
२२---लोकाट
२३---बेल
२४---अनन्नास
२५---आम
२६---आलू बुखारा
२७---अंजीर
२८---कटहल (पक्का)
२९---कमरख
३०---करौंदा
३१---खजूर
३२---खिरनी
३३---खुबानी
३४---जामुन
३५---नाशपाती व नाख
३६---शरीफा
३७---शहतूत
३८---चकोतरा
३९---रसभरी ।

ग---द्राक्षा---कृषि

१---अंगूर

घ---मधू-मक्खी पालन

१---शहद
२---मोम ।

ङ---कोशकीट पालन

१---रेशम ।

च---मत्स्य संवर्द्धन

१---मछली ।

छ--पशुपालन-उत्पाद

१--कुक्कुट
२ --अण्डा
३--पशु
४--भेड़
५--बकरी
६--मक्खन
७--घी
८--खोया
९--पनीर
१०--दूध
११--चमड़ा और खाल
१२--हड्डी
१३--गोश्त
१४--सूअर का बाल
१५--ऊन ।

ज--बन उत्पाद

१--गोंद
२--लकड़ी
३--तेन्दू की पत्ती
४--लाख
५--रीठा
६--कत्था ।

अध्याय ३

संक्रमणकालीन उपबन्ध

कतिपय कृत्यों का वैधीकरण

12--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1969 के प्रारम्भ के पूर्व गुड़, राब, शक्कर खांडसारी या जगरी के सम्बन्ध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई क्रिया, जिसके अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 5 से 8 तक की किसी भी धारा के अधीन जारी की गई कोई विज्ञप्ति, धारा 16 या धारा 17 के अधीन किसी मंडी समिति द्वारा या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा प्रयोग किया गया कोई अधिकार, सम्पादित किया गया कोई कृत्य या पालन किया गया कोई कर्त्तव्य, और विशेष रूप से किसी मंडी समिति द्वारा किसी लाइसेन्स के देने या उसके नवीकरण के लिए लगाया गया या वसूल किया गया कोई शुल्क या गुड़, राब, शकर, खांडसारी या जगरी के क्रय-विक्रय के सौदे पर लगाया गया या वसूल किया गया मंडी शुल्क भी है, एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी और सदैव से समझी जायगी और यह उतनी ही वैध समझी जायगी और सदैव से वैध समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व गुड़ राब, शक्कर, खांडसारी या जगरी के संबंध में मूल अधिनियम की धारा 37 के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने या दंड देने का प्राधिकार प्राप्त होता है ।

मंडी क्षेत्रों की कतिपय घोषणाएं और मंडी क्षेत्रों में वृद्धि अवैध न होगी ।

13--मूल अधिनियम की धारा 5, 6 और 8 में, या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी,

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश 1968 (जिसे आगे 1968 का अध्यादेश कहा गया है) प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 6 के अधीन की गई अथवा की जाने के लिये तात्पर्यित कोई घोषणा; और

(ख) इस प्रकार प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंडी क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए दिया गया अथवा दिये जाने के लिए तात्पर्यित कोई आदेश,

इस आधार पर कि वह केवल गजट में विज्ञप्ति द्वारा जारी किया गया और नियत रीति से नहीं, न तो अवैध होगा और न कभी अवैध रहा समझा जायगा।

प्रधान मंडी स्थलों या उपमंडी स्थलों की कतिपय घोषणायें अवैध न होंगी

१४—(१) यदि १९६८ के अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन कोई क्षेत्र, उक्त घोषणा में निर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का प्रधान मंडी स्थल या उपमंडी स्थल घोषित किया गया हो अथवा घोषित किये जाने के लिए तात्पर्यित हो, और ऐसा क्षेत्र उक्त मंडी क्षेत्र का भाग न हो तो, मूल अधिनियम की धारा ५, ६ और ७ या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसा क्षेत्र, मूल अधिनियम की धारा ६ के अधीन उप मंडी क्षेत्र के संबंध में की गई घोषणा में निर्दिष्ट दिनांक से, उक्त मंडी क्षेत्र के भाग के रूप में उक्त धारा के अधीन विधिवत् घोषित किया गया समझा जायगा; और

(ख) ऐसा क्षेत्र, मूल अधिनियम की धारा ७ के अधीन प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल के सम्बन्ध में की गई घोषणा में निर्दिष्ट दिनांक से उक्त मंडी क्षेत्र के, यथास्थिति, प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल के रूप में विधिवत् घोषित किया गया समझा जायगा।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबन्धों के कारण किसी मंडी क्षेत्र में किसी क्षेत्र का सम्मिलन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९६८ की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन ऐसे सम्मिलन के विरुद्ध की गई किन्हीं आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा, और ऐसा क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग गजट में विज्ञप्ति द्वारा आदेश में निर्दिष्ट दिनांक से सम्बद्ध मंडी क्षेत्र से निकाल दिया जाय तो इस प्रकार निकाला गया क्षेत्र, इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन इस प्रकार निकाला गया समझा जायगा और उक्त अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह क्षेत्र उक्त धारा ८ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन निकाला गया हो।

कतिपय मंडी समितियां तथा उनके कृत्य अवैध न होंगे

१५—(१) १९६८ के अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संघटित प्रत्येक प्रथम समिति या कोई नई समिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा १४ के उपबन्धों के अनुसार सदैव से विधिवत् संघटित समझी जायगी।

(२) मूल अधिनियम की धारा ५, ६, ७ और ८ में या उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी—

(क) उपधारा (१) में अभिदिष्ट कोई समिति, कभी इस आधार पर अवैध रूप से संघटित हुई नहीं समझी जायगी;

(ख) ऐसी समिति द्वारा, किसी अधिकार का किया गया प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन या किया गया कार्य, कभी इस आधार पर अवैध रूप से किया गया प्रयोग, सम्पादन या कार्य नहीं समझा जायगा;

कि मूल अधिनियम की धारा ५, धारा ६, धारा ७ या धारा ८ अथवा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अनुसार, मंडी क्षेत्र या प्रधान मंडी स्थल या उप मंडी स्थल, जैसी भी दशा हो, की घोषणा नहीं की गई थी, या उक्त मंडी क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया था।

कतिपय दशाओं में प्रथम समिति या नई समिति का पुनः संघटित किया जाना आवश्यक नहीं है

१६—इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा १३ तथा १४ में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मंडी क्षेत्र के सम्बन्ध में संघटित किसी प्रथम समिति या नई समिति को केवल इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धाराओं के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिये पुनः संघटित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि एतद्द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (९) में अभिदिष्ट उत्पादन समितियों के सभापति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर संबंधित समितियों के पदेन सदस्य हो जायेंगे।

कतिपय उपविधियां अवैध न होंगी

१७—यदि मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन किसी मंडी समिति द्वारा बनाई गई कोई उपविधि, १९६८ के अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व, निदेशक द्वारा अनुमोदित हो तो मूल अधिनियम की धारा ३९ की उक्त उपधारा (१) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपविधि उस दिन से, जब वह इस प्रकार बनाई गई हो, वैध होगी और सदैव से वैध हुई समझी जायगी।

अध्याय ४

निरसन

निरसन

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १३, १९६८, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६९

१८—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९६८, और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

उद्देश्य और कारण

कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय के विनियमन और उसके लिए मंडियों की स्थापना तथा उनके अधीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि, उत्पादन मंडी अधिनियम १९६४ अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लगभग २५० मुख्य मंडियां हैं और उतनी ही संख्या में गौण मंडियां हैं। अब तक उक्त अधिनियम के अधीन ७९ मंडियां विनियमित की गई हैं। शेष मंडियों को भी चतुर्थ योजना के अन्त तक विनियमित करने का प्रस्ताव है। उक्त अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्ति करने में हुई कतिपय कठिनाई को दूर करने के लिये १५ फरवरी, १९६८ को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६८ प्रख्यापित किया गया था। तत्पश्चात् इसे राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १३, १९६८ अर्थात् उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९६८ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बाद में "कृषि उत्पादन" की परिभाषा में गुड़, शक्कर, जगरी, खांडसारी तथा राब को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करने के उद्देश्य से एक दूसरा अध्यादेश, अर्थात् उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६९) प्रख्यापित किया गया।

२—विधेयक में मुख्यतः उक्त अधिनियमितियों के उपबन्धों को पुनः अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में होने वाली कतिपय अन्य कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से धारा २,७,१०,१३,१५,तथा १९ के उपबन्धों में कुछ छोटे-मोटे संशोधन करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है। इन संशोधनों का उद्देश्य मंडी समितियों के कार्य में अधिक दक्षता लाना तथा उनके प्रशासन को सुचारु बनाना है।

३—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

शिवराज सिंह,
कृषि मंत्री।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७ पर)

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

फंडामेन्टल रूल ५६ का संशोधन करने और तद्धीन या उसके सम्बन्ध में किये गये कतिपय कार्यों का वैधीकरण करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल ५६ (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

फंडामेंटल रूल ५६ का संशोधन

२—फाइनेंशियल हैन्ड बुक, खंड २ भाग २ से ४ तक प्रकाशित उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स के नियम ५६ के खंड (ए) में, जिसे आगे उक्त नियम ५६ (ए) कहा गया है, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड और स्पष्टीकरण रख दिये जायें, और १ जनवरी, १९६४ से रखे गये समझे जायें, अर्थात:—

'प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, कोई कारण दिये बिना किसी सरकारी सेवक से तीन महीने की नोटिस पर अथवा ऐसे नोटिस की कुल या आंशिक अवधि के स्थान पर उसके बदले में वेतन पर उसके ५५ वर्ष अथवा ऐसी कम आयु, जिसमें ऐसी नोटिस की अवधि जिसके बदले में वेतन दिया जाय, जोड़ कर ५५ वर्ष हो जाय, प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा निवृत्ति हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, किन्तु ऐसी नोटिस की पूरी अथवा आंशिक अवधि को, जिसके बदले में वेतन दिया जाय, सरकारी सेवक को देय पेंशन एवं मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान का आकलन करने के प्रयोजन से, किन्तु अन्य किसी प्रयोजन से नहीं, उसकी अर्ह सेवा में जोड़ा गया समझा जायगा; अथवा

(२) सरकारी सेवक ५५ वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त, नियुक्ति प्राधिकारी को ३ माह का नोटिस देने के बाद, स्वेच्छया-सेवा निवृत्त हो सकता है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही विचाराधीन या विवेक्षित हो, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने के लिए दिया गया नोटिस तब प्रभावी होगा यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, किन्तु शर्त यह है कि किसी विवेक्षित आनुशासिक कार्यवाही की दशा में, सरकारी सेवक को इसकी सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जाय;

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किसी सरकारी सेवक द्वारा एक बार दिया गया नोटिस उसके द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं लिया जायगा।

स्पष्टीकरण—(१) नियुक्ति प्राधिकारी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन सरकारी सेवक को सेवा निवृत्त करने का, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है, निर्णय तब लेगा यदि उक्त प्राधिकारी को एसा करना लोक-हित में प्रतीत हो, और राज्य सरकार समय-समय पर, ऐसे कार्यकारी अनुदेश जारी कर सकती है जिसमें तदर्थ पथ-प्रदर्शक सिद्धांत इंगित हों, किन्तु यहां पर दी गयी किसी बात से इस बात का, कि ऐसा निर्णय लोक-हित में लिया गया है, आदेश में उल्लेख करने की, अथवा ऐसे अनुदेशों के प्रकाशन करने की, अपेक्षा न समझी जायगी ।

(२) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, लोक-हित में लिया गया उपधारित किया जायगा

(३) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक को सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गयी हो या सरकारी सेवक सेवा निवृत्त होना चाहता हो, मौलिक नियुक्तियां करने का अधिकार हो ।

बंधीकरण

३—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त नियम ५६(ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत किया गया कोई निर्णय या आदेश जारी, किये गये कार्यवाही अनुदेश, या दिया गया कोई नोटिस या नोटिस के बदले में दिया गया या भुगतान किया गया या भुगतान के लिए आदिष्ट वेतन, अपेक्षित या कार्यान्वित सेवा निवृत्ति अथवा स्वीकृत या भुगतानकृत पेंशन भी है, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त नियम ५६(ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या की गयी और सदैव से किया गया या की गयी समझी जायगी, और वे उतने ही बैध समझे जायेंगे तथा सदैव से बैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६, १९६९ का निरसन

४—उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स ५६ (संशोधन तथा बंधीकरण) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

१ जनवरी, १९६४ से फंडामेंटल रूल ५६, फाइनेंशियल हैन्ड बुक, खण्ड (२), भाग २ से ४ तक, में इस प्रकार सशोधन कर दिया गया था कि राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों के सेवा निवृत्ति होने की आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष कर दी गयी थी और साथ ही साथ इस आशय का उसमें एक प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया गया था कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी सरकारी सेवक से किसी भी समय, कोई कारण दिये बिना, तीन महीने की नोटिस पर सरकारी सेवक के ५५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवा निवृत्ति हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। चूंकि उक्त संशोधन नियम में यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं थी, यद्यपि वह बात सदैव उसमें अन्तर्निहित थी, कि केवल लोक-हित में ही इस प्रकार सेवा निवृत्त हो जाने की अपेक्षा की जा सकती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने एक के विरुद्ध दो के बहुमत से यह घोषित किया कि उक्त प्रतिबन्धात्मक खंड संविधान के अनुच्छेद १४ और १६ का उल्लंघन करता है। विधिक स्थिति को संदेह से परे रखने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि भूतलक्षी प्रभाव से फन्डामेंटल रूल ५६ को संशोधित किया जाय और तद्धीन किये गये कार्य को वैध किया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री।

परिशिष्ट 'ट'

(देखिये नीचे पृष्ठ ३७ पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

यू०पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० का अग्रेतर संशोधन करने के लिए, और तद्धीन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

धारा २८ का संशोधन

२—यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २८ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय और सदैव से पुनः संख्यांकित समझी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायं, अर्थात्

"(२) राज्य सरकार उपर्युक्त उत्पाद-शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) या प्रति-शुल्क (काउन्टरवेलिंग ड्यूटी) आरोपित करने में और उसकी दर निश्चित करने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद ४७ में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी ।

(३) ऐसा शुल्क एतद्पश्चात् उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगा :

(ए) धारा १२(१) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थोंपर प्रति-शुल्क:—

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
१	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	२ रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा रासायनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)।	१५ रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधियों तथा भेषजों को छोड़कर)	७० रुपये प्रति लीटर

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।	६० रुपये प्रति लीटर अलकोहल
३	गांजा	३०० रुपये प्रति किलो-ग्राम
४	भांग	१४ रुपये प्रति किलो ग्राम

(बी) धारा १३ के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क :—

मद संख्या	उत्पादन-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
१	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) ।	०.७० पैसे प्रति लीटर अलकोहल
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो (बियर को छोड़कर) ।	०.७० पैसे प्रति लीटर अलकोहल
३	भारत में यवासवित बियर	०.२० पैसे प्रति लीटर
४	गांजा	१५० रुपये प्रति कि०ग्रा०
५	भांग	४ रुपये प्रति कि०ग्रा०

(सी) परिवहन किये गये उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क—

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
१	देशी शराब (ताड़ी को छोड़ कर)	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर ,पोर्टर, साइडर अन्य किण्वित शराब	२ रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक बिर्निमितियों को छोड़ कर) ..	१५ रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़ कर)।	७० रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	६० रुपये प्रति लीटर अलकोहल
३	गांजा	३०० रुपये प्रति किलो ग्राम
४	भांग	१४ रुपये प्रति किलो ग्राम

(डी) धारा १७ के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कल्पित या संग्रहीत उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क—

मद-संख्या	उत्पाद--शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
१	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो, और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर, तथा अन्य किण्वित शराब	२ रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर) ..	१५ रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़ कर)	७० रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	६० रुपये प्रति लीटर अलकोहल
३	गांजा	३०० रुपये प्रति किलो ग्राम
४	भांग	१४ रुपये प्रति किलो ग्राम

(ई) धारा १८ के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क:—

मद संख्या	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
१	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो, और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	२ रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर) ..	१५ रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
	(डी) शराब कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिसमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	७० रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। ..	६० रुपये प्रति लीटर अल्कोहल"

धारा ४६ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४६ में द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"ऐसा शुल्क प्रत्येक छिद्रित वृक्ष पर या उस वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाय, कर द्वारा लगाया जायगा, और इसकी दर धारा २८ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये निश्चित की जायगी और प्रति वृक्ष एक वर्ष या उसके भाग के लिये साठ रुपये से अधिक न होगा।"

वैधीकरण

४—किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निणय, डिक्री या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल आधनियम के अधीन किसी शुल्क का आरोपण, लगाया जाना या वसूल किया जाना या तात्पर्यित अरोपण लगाया जाना या वसूल किया जाना, व उसके संबंध में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, जिसक अन्तर्गत, विशेषतया, मूल अधिनियम की धारा २८ या धारा ४६ के अधीन जारी किया गया या की गयी या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई अधिसूचना भी शामिल है, वैध तथा प्रभावी समझे जायेंगे, व सदैव से वैध तथा प्रभावी समझे जायेंगे, मानो ऐसा आरोपण, लगाया जाना या वसूल किया जाना, अथवा ऐसा कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया हो या की गयी हो, और तदनुसार—

(क) ऐसा शुल्क आरोपित करने, लगाने या वसूल करने के संबंध में राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी कृत्य, की गयी सभी कार्यवाहियां या किये गये सभी कार्य, सभी प्रयोजनों के लिय, विधि के अनुसार किये गये समझे जायेंगे और सदैव से समझे जायेंगे,

(ख) किसी ऐसे शुल्क के प्रतिदान के लिये किसी न्यायालय में, या किसी प्राधिकारी के समक्ष, कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां न तो ली जायेंगी और न जारी रखी जायंगी, और

(ग) कोई भी न्यायालय कोई ऐसी डिक्री या आदेश, जिसमें किसी ऐसे शुल्क के प्रतिदान का निदेश किया गया हो, लागू नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ८, १९६९ का निरसन

५—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० की धारा २८ तथा ४६ में राज्य सरकार को आबकारी वस्तुओं पर ऐसी दर से आबकारी शुल्क लगाने का अधिकार है जो राज्य सरकार समय-समय पर निदेश करे। इन धाराओं के अन्तर्गत आबकारी शुल्क की न तो कोई अधिकतम सीमा नियत थी और न ऐसे सिद्धान्त का कोई निदेश था जिनके आधार पर राज्य सरकार आबकारी शुल्क की दरें निर्धारित करती। हाल ही में उच्च न्यायालय में लगभग ९० समादेश याचिकायें दायर हुयीं जिनमें आबकारी से संबंधित अन्य बातों के अतिरिक्त उक्त धाराओं में राज्य सरकार को दिये गये आबकारी शुल्क के लगाने के अधिकार को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि उक्त धाराओं में विधान मंडल ने शासन को बिना किसी उचित पथ प्रदर्शन, निबंन्धन तथा सीमा के कर लगाने का अधिकार दिया है और इस प्रकार वह अत्याधिक प्रतिनिधान (excessive delegation) है। यदि यह तर्क स्वीकार हो जाता तो राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में भारी हानि होती। अतएव, इस बात को संदेह से परे करने के लिये उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १९६९) प्रख्यापित करके आबकारी शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है और यह व्यवस्था भी की गयी है कि राज्य सरकार उक्त अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुये शुल्क निर्धारित करते समय संविधान के अनुच्छेद ४७ के निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से यह विधेयक तदनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

बलबीर सिंह,
आबकारी मंत्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३८ पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, १९६०

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

धारा ११ का संशोधन

२—(१) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ११ को उक्त धारा की उपधारा (१) पुनः सांख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में :—

(१) शब्द "आगे दी गई रीति से आमेलित किये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "आगे दी गयी रीति से आमेलित या नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे" रख दिये जायें;

(२) खण्ड (४) तथा (५) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायें, अर्थात् :—

"(४) दो सदस्यों, जिनमें से एक वित्त के सम्बन्ध में तथा दूसरा प्रशासन के सम्बन्ध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(५) एक सदस्य जो उपर्युक्त दस सदस्यों द्वारा ऐसे वक्फों के, जिन पर यह अधिनियम लागू होता हो और जिनमें से प्रत्येक की कम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय हो, मुतवल्लियों में से आमेलित किया जायगा":

(३) खण्ड (६) में शब्द "चौदह" के स्थान पर शब्द "ग्यारह" रख दिया जाय:

(२) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात् :—

"(२) जब तक कि उपधारा (१) में अभिदिष्ट निर्वाचन की रीति की व्यवस्था करने के लिये धारा ७९ के अधीन उपविधियां न बना दी जायं तब तक निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, और विशेषरूप से, राज्य विधान मण्डल के सुन्नी सदस्यों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन यूनाइटेड प्राविन्सेज सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड रूल्स, १९४४ के नियम ४६ द्वारा नियन्त्रित होगा।"

धारा १२ का संशोधन

३—(१) मूल अधिनियम की धारा १२ की उक्त धारा की उपधारा (१) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा में:—

(१) खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(२) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा"; और

(२) खण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(४) तीन सदस्य, जिनमें से एक किसी ऐसे वक्फ का, जिस पर यह अधिनियम लागू होत हो, और जिसकी कम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय हो, मुतवल्ली होगा, दूसरा सदस्य ऐसा होगा जिसे वित्त तथा प्रशासन के सम्बन्ध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, और तीसरा सदस्य आलिम होगा, उपर्युक्त सात सदस्यों द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।"

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) जब तक कि उपधारा (१) में अभिदिष्ट निर्वाचन की रीति की व्यवस्था करने के लिये धारा ७९ के अधीन उपविधियां न बना दी जायं, निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, और विशेष रूप से, राज्य विधान मण्डल के शिया सदस्यों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन उन नियमों द्वारा नियंत्रित होगा जो १६ सितम्बर, १९५८ को विधान मण्डल के शिया सदस्यों की बैठक में निश्चित हुए थे।"

धारा १३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

४—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

कतिपय दशाओं में नाम-निर्देशन

"१३—यदि धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (१) से (३) और धारा १२ की उपधारा (१) के खण्ड (१) और (३) में अभिदिष्ट कोई भी निकाय ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, सदस्यों को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्तित न करे तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, सुन्नी मुस्लिम अथवा शिया मुस्लिम के नाम-निर्देशन करके की जायगी।

धारा १४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १४ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में—

(१) शब्द "उस दिन के, जब पूर्व बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाय, ठीक बाद के दिन से" के स्थान पर शब्द "उसके संगठन की विज्ञप्ति के दिनांक से" रख दिये जायें;

(२) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, और ५ दिसम्बर, १९६९ से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि सिवाय उपधारा (२) में उपबंधित दशा के, बोर्ड के बहिर्गामी सदस्य (जिसमें बोर्ड का सभापति भी सम्मिलित है) इस बात के होते हुए भी कि

उनका कार्य-काल समाप्त हो गया, तब तक क्रमशः सदस्य और अध्यक्ष के रूप में अपना पद धारण किये रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नए बोर्ड का यथोचित रूप से संघटित किया जाना सरकारी गजट में विज्ञापित न कर दिया जाय;"

(ख) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(२) यदि किसी न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश के परिणामस्वरूप या तो राज्य सरकार नये बोर्ड का यथोचित रूप से संघटित किये जाने की विज्ञप्ति जारी करने में असमर्थ हो या ऐसी विज्ञप्ति के पश्चात् नया बोर्ड कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार ऐसे आदेश के क्रिया-काल के दौरान बोर्ड के नियंत्रण के रूप में मैं, यथास्थिति, कोई सुन्नी मुस्लिम या शिया मुस्लिम नियुक्त कर सकती है, और ऐसा नियंत्रक, बोर्ड तथा उसके अध्यक्ष और सदस्यों के सभी कृत्यों का निर्वहन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।"

धारा १५ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) में शब्द "और वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक उपधारा (१) के अपेक्षानुसार बोर्ड द्वारा नया अध्यक्ष निर्वाचित न कर दिया जाय" निकाल दिये जायें।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

७—मूल अधिनियम में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी बात के होते हुए भी—

(१) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६९ के पूर्व अंतिम बार मूल अधिनियम की धारा ११ के खंड (१), (२) और (३) के अधीन और धारा १२ के खंड (१) और (३) के अधीन दिये हुए या तात्पर्यित निर्वाचित वैध समझे जायेंगे और सदैव से वैध होंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे निर्वाचन के समय प्रवृत्त थे;

(२) उक्त दिनांक के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ११ के खंड (४) और (५) और धारा १२ के खंड (४) के अधीन अन्तिम बार दिये गये आमेलन अवैध समझे जायेंगे और सदैव से अवैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे आमेलन के समय प्रवृत्त थे।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

८—राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को, विशेष रूप से मूल अधिनियम के उपबन्धों से एतद्द्वारा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रायोजनार्थ आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियम, आदेश में निर्दिष्ट ऐसी अवधि में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष से अधिक न हो, ऐसे अनुकूलनों के चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, अधीन रहते हुए जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ११, १९६९ का निरसन

९—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत संघटित सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डों का कार्यकाल क्रमशः ६ दिसम्बर, १९६९ और २७ दिसम्बर, १९६९ को समाप्त हो गया था और इसके पूर्व उक्त बोर्डों के पुनः संघटन के लिये किये गये चुनावों के संबंध में दायर की गई रिट याचिकाओं में ऐसे चुने हुए सदस्यों को बोर्ड के सभापति के चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था जिससे उक्त बोर्डों को समय से पुनः संघटित नहीं किया जा सका। इस स्थिति के कारण बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। इसलिए यह तुरन्त आवश्यक हो गया कि उक्त अधिनियम का संशोधन करके पूर्व संघटित बोर्डों को उनके कार्य-काल के समाप्त होने के बावजूद भी तब तक कार्य करते रहने की व्यवस्था की जाय जब तक कि नये बोर्ड संगठित न हो जायें। इस अवसर का लाभ उक्त बोर्डों के संघटन में और उनके कार्य में दक्षता लाने के लिए कुछ परिवर्तन करने के लिये भी किया गया। तद्नुसार उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ प्रख्यापित किया गया। उसको प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अनवार अहमद,
वक्फ मंत्री।

नत्थी 'ड'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३८ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन करने और तदधीन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३-क का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३-क में उपधारा (१)—

(१) शब्द "क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा बिक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी बिक्री को छोड़ कर जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" के स्थान पर शब्द "सिवाय बिक्री के एक ऐसे स्थल पर, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और शब्द "कर नहीं लगेगा", के पश्चात् कामा तथा शब्द "और ऐसी घोषणा इस बात के होते हुए भी की जा सकती है कि उस माल या उस वर्ग के माल की एक से अधिक स्थल पर बिक्री संभव नहीं है अथवा वह प्रचलित व्यापारिक प्रथा के अनुसार एक से अधिक स्थल पर साधारणतया नहीं बेचा जाता" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें ;

(२) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाये, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये अलंकृत या कटावदार कांच की चूड़ियां, सादी कांच की चूड़ियों से भिन्न समझी जायेंगी, और तद्नुसार, इस उपधारा को किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि अलकृत या कटावदार कांच की चूड़ियों की बिक्री के निर्दिष्ट स्थल पर केवल इस कारण कर आरोपित करने, न लगाने या वसूल करने पर रोक है कि सादे रूप में कांच की उन चूड़ियों की बिक्री के निर्दिष्ट स्थल पर पहले ही कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका था ।"

धारा ३-ब का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३-ब की उपधारा (१) के वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण १ संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण २—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये विखण्डित या संसाधित अनाज, जैसे कि दाल के रूप में, ऐसे अनाज से, जो अविखण्डित या असंसाधित हो, भिन्न समझे जायेंगे और तद्नुसार इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विखंडित या

संशोधित अनाज के प्रथम क्रय के संबंध में केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि अविखंडित या असंसाधित रूप में उन अनाजों के प्रथम क्रय के संबंध में पहले ही कर आरोपित लगाया या वसूल किया जा चुका था ।"

धारा ४-क के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

४---मूल अधिनियम की धारा ४-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:---

"४--क (१) धारा ३ या धारा ३--क में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की उपधारा (२) में यथा निर्दिष्ट राय हो तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी माल के संबंध में यह घोषणा कर सकती है कि उस माल के निर्माता का विक्रय धन पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के दौरान जो निर्दिष्ट की जाय, बिक्री-कर से मुक्त रहेगा या उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन घोषणा तब की जा सकती है यदि राज्य सरकार की राय में---

(क) निर्दिष्ट माल का उत्पादन बढ़ाने के लिये ; या

(ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े ऐसे जिलों का, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, विकास करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो ।

(३) राज्य सरकार के लिये यह बंध होगा कि वह---

(क) सामान्यतया सभी उपरोक्त माल के संबंध में जो उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् निर्मित किया गया हो, उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन कर से छूट दे या कर की दर में कमी करें; या

(ख) उपरोक्त माल में से केवल ऐसे माल के संबंध में जो ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय व किसी ऐसी इकाई में जिसमें ऐसे दिनांक के पश्चात्, जो दिनांक उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो सकता है व जो निर्दिष्ट किया जाय, उत्पादन प्रारंभ हो, निर्मित किया जाय, उपधारा (२) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कर से छूट दे या कर की दर में कमी करे ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'नई इकाई' का तात्पर्य किसी ऐसे कारखाने या कर्मशाला से है जिसमें ऐसी मशीन, उपसाधनों या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो उत्तर प्रदेश में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में पहले से ही प्रयोग में न लाए गए हों, और न उसमें प्रयोग किये जाने के लिये अर्जित किए गए हों, किन्तु इसके अन्तर्गत वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला या किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का कोई परिवर्द्धन या प्रसार सम्मिलित नहीं है ।"

धारा ७–घ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

५––मूल अधिनियम की धारा ७–घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात :––

कर दायित्व के संबंध में राजीनामा

"७–घ––(१) कोई व्यापारी जिसका विक्रय धन किसी कर निर्धारण वर्ष में २५,००० रुपये से अधिक न हो, कर निर्धारण वर्ष की प्रथम तिमाही की समाप्ति के पूर्व कर निर्धारक अधिकारी को यह आवेदन दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में उसे राजीनामों के रूप में धनराशि, जिसे आगे राजीनामा शुल्क कहा गया है, देने की अनुज्ञा दी जाय, और यदि कर निर्धारक अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि विक्रय धन २५,००० रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है तो वह ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्न लिखित वर्गों के व्यापारियों पर लागू न होगी, अर्थात् :––

(क) उन माल से, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करें, भिन्न माल के निर्माता ;

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसे माल का, जिनके संबंध में धारा ३–क, ३–कक या धारा ३–घ के अधीन विज्ञप्ति इस घोषणा के साथ तत्समय प्रवृत्त हो कि उस माल के संबंध में विक्रय धन पर कर, सिवाय आयातकर्त्ता द्वारा बिक्री के प्रथम स्थल पर, देय नहीं होगा, आयात करने वाले व्यापारी;

(ग) अनियमित व्यापारी।

(२) राजीनामा शुल्क कर निर्धारण वर्ष में व्यापारी के विक्रय धन, जो ऐसी रीति से अवधारित किया जायगा जो नियत की जाय, के २ प्रतिशत की दर से अवधारित किया जायगा।

(३) कर निर्धारक अधिकारी, व्यापारी द्वारा देय राजीनामा शुल्क अवधारित करने का आदेश देने के पूर्व उसके भू-गृहादि का (अर्थात् कोई ऐसा कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान पात्र या गाड़ी जिसमें व्यापारी अपने व्यवसाय के संबंध में साधारणतया माल या बहियां, लेख-पत्र या लेखा रखता हो) विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करेगा।

(४) यदि ऐसे सर्वेक्षण या प्राप्त किसी अन्य सूचना के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि व्यापारी का विक्रय धन २५,००० रुपये से अधिक होने की संभावना है या व्यापारी उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी वर्ग का है तो कर निर्धारक अधिकारी राजीनामे के लिये व्यापारी का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर देगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर का निर्धारण करेगा।

(५) कोई व्यापारी जिसे कर के बदले में राजीनामा शुल्क देने की अनुज्ञा दी गई हो, वर्ष के दौरान अपने द्वारा किये गये सभी क्रय के संबंध में वाउचर रखेगा और ऐसे अभिलेख भी रखेगा, जिसमें वह अपने द्वारा की गई बिक्री का दैनिक योग लिखेगा।

(६) इस धारा के अधीन अवधारित राजीनामा शुल्क इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये व्यापारी द्वारा देय कर समझा जायेगा और, विशेष रूप से वह उसी रीति से वसूल किया जा सकेगा जैसे कि अधिनियम के अधीन निर्धारित कर ।"

नयी धारा १२-क का बढ़ाया जाना

६---मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात् :---

साबित करने का भार

"१२-क -किन्हीं कर निर्धारण कार्यवाहियों में, जब कोई तथ्य विशेषतः करदाता के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से, ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो मामले को धारा ३-क, धारा ३-घ, धारा ४, धारा ४-क, धारा ४-ख या धारा ७-घ में उल्लिखित किसी भी अपवाद, छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो, उसी पर होगा, और कर निर्धारक अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव को उपधारण करेगा ।"

वैधीकरण

७---किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ३-क या धारा ३-घ के अधीन जारी की गई या तात्पर्यित प्रत्येक विज्ञप्ति इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा के अधीन जारी की गई समझी जायेगी और उसका इस प्रकार निर्वचन किया जायगा और वह वैध समझी जायेगी व सदैव से वैध समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार ऐसी विज्ञप्ति के तात्पर्यित अनुसरण में किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया (जिसके अन्तर्गत कोई दिया गया आदेश, की गई कार्यवाही, क्षेत्राधिकार या प्रयोग, किया गया कर निर्धारण या लगाया गया, वसूल किया गया या दिया गया कर भी है) जो ऐसी विज्ञप्ति के अनुसरण में वैध रूप से और विधिवत् किया गया या की गई और सदैव वैध रूप से या विधिवत् किया गया या की गई समझी जायेगी ।

उ० प्र० अध्यादेश २, १९७० का निरसन

८---उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३–क तथा ३–घ में एक सूत्रीय कर लगाये जाने की व्यवस्था है। धारा ३–क के अधीन विक्रय-धन पर तथा धारा ३–घ के अधीन प्रथम क्रय के क्रय-धन पर, कर लगाया जाता है। सादे तथा अलंकृत कांच की चूड़ियों पर धारा ३-क के अधीन अलग-अलग बिक्री कर देय है। इसी प्रकार अविखण्डित तथा विखण्डित दालों पर धारा ३-घ के अधीन अलग-अलग कर लगाया जाता है। उच्च न्यायालय ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि धारा ३-क के अधीन सादे तथा अलंकृत कांच की चूड़ियों पर अलग-अलग कर नहीं लगाया जा सकता। एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि धारा ३-घ के अधीन अविखंडित तथा विखंडित दालों पर अलग-अलग कर नहीं लगाया जा सकता। इन मामलों में उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि सादे कांच की चूड़ियां व अलंकृत कांच की चूड़ियां और उसी प्रकार अविखंडित दाल व विखंडित दाल भी भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। उक्त निर्णयों के कारण उपर्युक्त वस्तुओं पर कर निर्धारण तथा कर की वसूली में वैधानिक कठिनाई उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त व्यापारियों ने इन वस्तुओं पर पहले से ही वसूल किये गये कर को वापस करने के लिये आवेदन-पत्र देना शुरू कर दिया। इससे राज्य के राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, धारा ३-क और ३-घ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उपर्युक्त वस्तुओं पर अलग-अलग मदों के रूप में कर लगाने की व्यवस्था की जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि उपरोक्त वस्तुओं पर अभी तक लगाये गये, निर्धारित किये गये तथा वसूल किये गये कर को वैध किया जाय।

इस अवसर का लाभ छोटे-छोटे व्यापारियों को, जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में विक्रय धन २५,००० रुपये से अधिक न हो, राजीनामा द्वारा बिक्री-कर देने की सुविधा देने के लिए किया गया है। इस उद्देश्य से धारा ७-घ के स्थान पर एक नई धारा रखे जाने का प्रस्ताव है।

एक नई धारा १२–क भी यह स्पष्ट करने के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव है कि उन विभिन्न परिस्थितियों को जिनके कारण ऐक्ट के अधीन कर निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान किसी रियायत की मांग की जाय, सिद्ध करने का भार व्यापारी पर होगा। यह इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि कर निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में नये उद्योगों की स्थापना में सहायता देने के उद्देश्य से धारा ४–क में भी संशोधन किये जा रहे हैं।

चूंकि, प्रस्तावित संशोधनों को, विशेष कर उन्हें जो चूड़ी तथा दाल पर लगाये गये कर का वैधीकरण किये जाने से संबधित है, तुरन्त करना आवश्यक था और विधान मण्डल सत्र में नहीं था, इसलिए ६ जनवरी, १९७० को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९७०) प्रख्यापित किया गया था।

तदनुसार यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

बलबीर सिंह,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३ एल० ए०—१९७०—८७०।